विज्ञा. सं. 11/2011

संघ लोक सेवा आयोग

निम्नलिखित पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करता है ।

1. (रिक्ति सं. 11061101511) तीन सहायक मृदा सर्वेक्षण अधिकारी, भारतीय मृदा तथा भूमि प्रयोग सर्वेक्षण, कृषि तथा सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय । तीन पदों में से एक पद अ.पि.व. के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है । **अ0 यो0: क : शैक्षिक** : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मृदा विज्ञान में मास्टर डिग्री या एक विषय के रूप में मृदा विज्ञान या कृषि रसायन विज्ञान या मृदा संरक्षण सहित कृषि विज्ञान में मास्टर डिग्री । **ख : अनुभव** : मृदा सर्वेक्षण तथा/या मृदा संरक्षण में फील्ड / शोध संबंधी कार्य में तीन वर्ष का अनुभव । **वां.यो.** : सर्वेक्षण, आयोजना तथा निगरानी सहित हवाई छाया चित्रों के निर्वचन या मृदा संरक्षण की किसी भी शाखा में अनुभव / उन्नत प्रशिक्षण । **कार्य** : मृदा सर्वेक्षण तथा मानचित्रण कार्य की संवीक्षा करना, फील्ड में कार्यरत दलों को सांकेतिक मानचित्र तैयार करने में मार्गदर्शन करना, आधार भूत नक्शों जैसे-स्थल पत्रकों (टोपोशीट्स), हवाई फोटो तथा उपगृह छायाचित्रों का निर्वचन करना । मृदा संवेक्षण में सुदूर संवेदन तथा जी.आई.एस. का अनुप्रयोग करना, भूमि सर्वेक्षण रिपोर्टों आदि का संपादन करना । **मुख्यालय** : भारतीय मृदा तथा भूमि प्रयोग सर्वेक्षण के किसी भी क्षेत्रीय केन्द्र में ।

2. (रिक्ति सं. 11061102511) एक सहायक निदेशक (खरपतवार विज्ञान), पादप संरक्षण, संगरोध तथा भंडारण निदेशालय, कृषि मंत्रालय । पद अनारक्षित है । **अ0 यो0: क : शैक्षिक** : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में खरपतवार विज्ञान सहित कृषि विज्ञान / शस्य विज्ञान में एम.एससी. डिग्री या एक विषय के रूप में खरपतवार विज्ञान सहित वनस्पति विज्ञान / कृषि वनस्पति विज्ञान में एम.एससी. डिग्री या समकक्ष । **ख : अनुभव** : खरपतवार विज्ञान/ खरपतवार नियंत्रण के क्षेत्र में तीन वर्ष का व्यावहारिक अनुभव । **वां.यो.** : विशेषज्ञता के क्षेत्र में डाक्टरेट डिग्री । **कार्य** : खरपतवार के बीजों में किसी प्रकार के अपमिश्रण के लिए पादपों / पादप सामग्रियों का संगरोध निरीक्षण / उपचार करना । विदेशी खरपतवारों के बीजों की पहचान करना । खरपतवार नियंत्रण के लिए किए जाने वाले उपायों में अनुकूलन संबंधी शोध करना । सौंपे जाने वाले अन्य कार्य करना ।

3. (रिक्ति सं. 11061103611) दो मुख्य इंजीनियर ग्रेड-2, भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण, मुंबई, पशुपालन, डेयरी तथा मात्स्यिकी विभा , कृषि मंत्रालय । दो पदों में से एक पद अ.पि.व. के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है । **<u>अ0 यो0: क : शैक्षिक</u>** : (i) प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी इंजीनियर (मोटर) की हैसियत से परिवहन मंत्रालय द्वारा दिया या सक्षमता प्रमाणपत्र **अथवा** मत्स्य पोत इंजीनियर की हैसियत से परिवहन मंत्रालय द्वारा दिया या प्रमाणपत्र अथवा सक्षमता प्रमाणपत्र (क) इंजीनियर मत्स्य पोत (ख) इंजिन ड्राइवर मत्स्य पोत अथवा ( ) व्यावसायिक समुद्री विभा द्वारा जारी किया या समुद्र ामी पोत पर इंजिन ड्राइवर । (ii) सैकेण्डरी स्कूल छोड़ने संबंधी प्रमाण पत्र या समकक्ष या केन्द्रीय मात्स्यिकी संचालन संस्थान, कोचीन / मद्रास से इंजिन ड्राइवर का संस्था त प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो । **<u>ख : अनुभव</u>** : मत्स्य पोतों पर तीन वर्ष का व्यावहारिक अनुभव । **<u>कार्य</u>** : पोत पर इंजिन कक्ष की सभी मशीनरियों तथा विद्युत, इलैक्ट्रॉनिकी प्रशीतन उपकरणों का रख रखाव करना । सम्पूर्ण प्रोप्लशन प्रणाली के सुचारू संचालन, नेमी निरीक्षणों की योजना बनाने, उपचारात्मक अनुरक्षण, मशीनों, उपकरणों की खराबी संबंधी जांच में मुख्य इंजीनियर ग्रेड-1 की सहायता करना । इंजिन लॉ बुक तथा अन्य रिकार्डों का अनुरक्षण करना । **<u>मुख्यालय</u>** : अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह सहित भारत में कहीं भी कार्य करना पड़ सकता है । **नोट-1- सभी उम्मीदवारों से इस मद के लिए (मद सं0 3, रिक्ति सं0 11061103611) आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख (उनके आवेदन पत्र को भेजने के स्थान को ध्यान में रखते हुए) 10.08.2011 हो ी । नोट-।। - सभी उम्मीदवारों की सभी प्रकार से पात्रता निर्धारण की तारीख (इस मद /रिक्ति सं0 के लिए) 10.8.2011 हो ी ।**

4. (रिक्ति सं. 11061104611) एक सहायक इंजीनियर (डिजाइन), भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण, मुंबई, पशुपालन, डेयरी तथा मात्स्ियकी विभा , कृषि मंत्रालय । पद अनारक्षित है । **<u>अ0 यो0: क : शैक्षिक</u>** : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से यांत्रिक इंजीनियरी में डिग्री या समकक्ष तथा (ii) किसी मान्यताप्राप्त समुद्री इंजीनियरी कर्मशाला के डिजाइन विभा में एक वर्ष का अनुभव **अथवा** ख (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से यांत्रिक इंजीनियरी में डिप्लोमा या समकक्ष; तथा (ii) किसी मान्यताप्राप्त समुद्री इंजीनियरी कर्मशाला में डिजाइन विभा में तीन वर्ष का अनुभव । **<u>कार्य</u>** : मछली पकड़ने की विभिन्न पद्धतियों आदि के संबंध में प्रौद्योि की के उन्नयन तथा मत्स्य पोत पर फिट होने वाले

उपकरणों के बारे में आयात विकल्प के लिए उपकरणों के डिजाइन तैयार करना, निर्माण करना तथा उनका परीक्षण करना । घाट पर पुल के खुले के अनुसार अवलम्ब ढांचे का डिजाइन तैयार करना । ड्राइंग कार्यालय तथा डिजाइन सैल उनके नियंत्रण में रहेंगे । वे परियोजना के केन्द्रीय भंडारों के प्रभारी होंगे तथा स्टोर अनुभाग के संबंध में समुचित प्राप्ति, निर्गम तथा रिकार्ड के रखरखाव के प्रति उत्तरदायी होंगे ।

<u>मुख्यालय</u> : कोचीन, केरल ।

5. (रिक्ति सं॰ 11061105611) एक वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, ग्रेड-I (जैनटेक्स), गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय । पद अ.ज.जा. के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है । यह पद शारीरिक विकलांग उम्मीदवारों - श्रवण बाधित (एच.एच.) या अस्थि विकलांग / चलने में असमर्थ या प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात – एक पैर प्रभावित (ओ.एल.) उम्मीदवारों के लिए भी उपयुक्त है । <u>अ. यो॰ : क : शैक्षिक</u> : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से वस्त्र इंजीनियरी / वस्त्र प्रौद्योगिकी में डिग्री या समकक्ष । **<u>ख : अनुभव</u>** : वस्त्र निर्माण में कार्यरत किसी संगठन में उत्पादन / विकास / गुणवत्ता आश्वासन में चार वर्ष का व्यावहारिक अनुभव । **<u>वां॰यो॰</u>** : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से वस्त्र इंजीनियरी / वस्त्र प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री या समकक्ष । (ii) जर्मन, फ्रैंच, रूसी, जापानी या चीनी भाषा की जानकारी । **<u>कार्य</u>** : विनिर्दिष्टियां तैयार करना तथा मदों / सामग्रियों की खरीद से संबंधित दस्तावेजों का अनुशीलन करना । उपकरणों, प्रणालियों /उप-प्रणालियों तथा सेवा द्वारा संगत विषयों से संबंधित मंगाई गई सामग्रियों का तकनीकी मूल्यांकन, परीक्षण, निरीक्षण तथा गुणवत्ता आश्वासन संबंधी कार्य करना । विभिन्न निर्धारित मानकों / विनिर्दिष्टियों के अनुसार परीक्षण सुविधाओं का सृजन करना । मदों / सामग्रियों के इंजीनियरी अध्ययन का मूल्यांकन करना । उत्पाद सुधार, प्रणालियों / उत्पादों का स्वदेशीकरण तथा उनसे संबंधित विकास कार्य करना । उद्योग जगत से तालमेल रखना तथा क्षमता / सामर्थ्य रिपोर्ट तैयार करना । तकनीकी प्रलेखन । परीक्षण शालाओं का प्रबंधन ।

6. (रिक्ति सं॰ 11061106611) एक वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, ग्रेड-I (सशस्त्रीकरण), गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय । पद अ.पि.व. के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है । यह पद शारीरिक विकलांग उम्मीदवारों - श्रवण बाधित (एच.एच.) या अस्थि विकलांग / चलने में असमर्थ या प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात –एक पैर प्रभावित (ओ.एल.) उम्मीदवारों के लिए भी उपयुक्त

हैं । <u>अ. यो. : क : शैक्षिक</u> : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से यांत्रिक इंजीनियरी या उत्पादन इंजीनियरी में डिग्री या समकक्ष । **<u>ख : अनुभव</u>** : सशस्त्र सेनाओं द्वारा प्रयोग किए जाने वाले गोला-बारूद तथा हथियारों के निर्माण से संबंधित उत्पादन / विकास / गुणवत्ता आश्वासन में चार वर्ष का व्यावहारिक अनुभव । **<u>वा.यो.</u>** : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से यांत्रिक इंजीनियरी या उत्पादन इंजीनियरी में मास्टर डिग्री या समकक्ष । (ii) जर्मन, फ्रैंच, रूसी, जापानी या चीनी भाषा की जानकारी । **<u>कार्य</u>** : उपर्युक्त मद सं 5 के अनुरूप ।

7. (रिक्ति सं 11061107611) एक वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, ग्रेड-II (धातुविज्ञान), गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय । पद अनारक्षित है। यह पद शारीरिक विकलांग उम्मीदवारों - श्रवण बाधित (एच.एच.) या अस्थि विकलांग / चलने में असमर्थ या प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात –एक पैर प्रभावित (ओ.एल.) उम्मीदवारों के लिए भी उपयुक्त है। <u>अ. यो. : क : शैक्षिक</u> : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से धातुविज्ञान में बी.ई. / बी.टेक. या समकक्ष । **<u>ख : अनुभव</u>** : धातुविज्ञान के क्षेत्र में उत्पादन/विकास / गुणवत्ता आश्वासन में दो वर्ष का व्यावहारिक अनुभव । **<u>वा.यो.</u>** : जर्मन, फ्रैंच, रूसी, जापानी या चीनी भाषा की जानकारी । **<u>कार्य</u>** : उपर्युक्त मद सं 5 के अनुरूप ।

8. (रिक्ति सं 11061108611) एक उप आसूचना अधिकारी (इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग) आसूचना ब्यूरो, गृह मंत्रालय । पद अ.पि.व. के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। <u>अ. यो. : शैक्षिक</u> : <u>क :</u> (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर अनुप्रयोग / कम्प्यूटर विज्ञान में मास्टर डिग्री या एम.टेक. (कम्प्यूटर अनुप्रयोग में विशेषज्ञता सहित) या कम्प्यूटर इंजीनियरी / कम्प्यूटर विज्ञान / कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी में बी.ई. / बी.टेक. या समकक्ष ; तथा (ii) वास्तविक प्रोग्रामण में अनुभव सहित इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग में 4 वर्ष का अनुभव अथवा <u>ख :</u> (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर अनुप्रयोग / कम्प्यूटर विज्ञान में डिग्री या इलेक्ट्रॉनिकी / इलेक्ट्रॉनिकी तथा संचार इंजीनियरी में डिग्री या समकक्ष ; तथा (ii) इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कार्यों में 5 वर्ष का अनुभव, जिसमें से कम से कम दो वर्ष का अनुभव वास्तविक प्रोग्रामण के क्षेत्र में होना चाहिए अथवा <u>ग :</u> (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री या समकक्ष या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरी में डिग्री या समकक्ष ; तथा (ii) इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कार्यों में 6 वर्ष का अनुभव, जिसमें से कम से कम 3 वर्ष का अनुभव

वास्तविक प्रोग्रामण के क्षेत्र में होना चाहिए अथवा <u>घ :</u> (i) डी.ओ.ई.ए.सी.सी. प्रोग्राम के अन्तर्गत कम्प्यूटर प्रोग्रामण में "ए" स्तर का डिप्लोमा या विश्वविद्यालय कार्यक्रम के अन्तर्गत कम्प्यूटर प्रोग्रामण में पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा /राज्य तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त कम्प्यूटर अनुप्रयोग में पोस्ट- पॉलिटैक्निक डिप्लोमा या समकक्ष ; तथा (ii) इलैक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कार्यों में 6 वर्ष का अनुभव, जिसमें से कम से कम 3 वर्ष का अनुभव वास्तविक प्रोग्रामण के क्षेत्र में होना चाहिए । **<u>कार्य</u>** : ई.डी.पी. प्रबंधन तथा कार्यक्रम में सहयोग देना । कार्य स्थल पर कम्प्यूटर संचालन का पर्यवेक्षण करना । प्राप्त किए गए सभी स्रोत दस्तावेजों का रिकॉर्ड रखना तथा प्रोसैसिंग कार्य के समापन के बाद उन्हें वापिस लौटाना । सुरक्षा उपकरणों की आपूर्ति करना, कार्यक्रमों को विकसित करना तथा टेप पुस्तकालय का रखरखाव करना ।

9. (रिक्ति सं0 11061109411) एक निदेशक (शरीर क्रिया विज्ञान), कारखाना परामर्श सेवा तथा श्रम संस्थान महानिदेशालय (डी.जी.एफ.ए.एस.एल.आई.), मुंबई, श्रम तथा रोजगार मंत्रालय । पद अनारक्षित है । <u>अ. यो. : क : शैक्षिक</u> : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से शरीर विज्ञान में मास्टर डिग्री या समकक्ष । **<u>ख. अनुभव:</u>** अनुप्रयुक्त शरीर क्रिया विज्ञान, कार्य शरीर क्रिया विज्ञान / एरगोनोमिक्स के क्षेत्र में 10 वर्ष का अनुभव । **<u>वा0यो.</u>** : प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन तथा उद्योगों में सर्वेक्षण तथा आधुनिक उपकरणों के संचालन में अनुभव । **<u>कार्य</u>** : औद्योगिक कायिकी विज्ञान (इंडस्ट्रियल फिजियोलोजी) तथा एरगोनोमिक्स के क्षेत्र में सर्वेक्षणों का संचालन करना, योजना बनाना । औद्योगिक कायिकी विज्ञान तथा एरगोनोमिक्स से संबंधित समस्याओं के बारे में उद्योगों को सलाह देना । डिवीजन द्वारा जारी की जाने वाली तकनीकी रिपोर्ट तैयार करना । अन्य संगठनों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भाषण देना । मोनोग्राफ तैयार करना । **<u>मुख्यालय</u>** : भारत में कहीं भी कार्य करने के दायित्व सहित मुंबई । **<u>अन्य शर्तें</u>** : उम्मीदवारों की, नई अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत पद पर भर्ती की जाएगी और चयन किए गए उम्मीदवार को तत्काल कार्यभार संभालना होगा ।

10. (रिक्ति सं0 11061110411) एक सहायक निदेशक (औद्योगिक मनोविज्ञान), कारखाना परामर्श सेवा तथा श्रम संस्थान महानिदेशालय, मुंबई, श्रम तथा रोजगार मंत्रालय । पद अनारक्षित है । <u>अ0 यो0 : क : शैक्षिक</u> : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान (औद्योगिक मनोविज्ञान के प्रश्नपत्र सहित) में मास्टर डिग्री । **<u>ख : अनुभव</u>** : औद्योगिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव । **<u>वा0यो.</u>** : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से उपर्युक्त अ.यो. (क) से संगत क्षेत्र में डॉक्टरेट डिग्री या

समकक्ष । **कार्य** : औद्योगिक मनोविज्ञान से संबंधित क्षेत्र में अनुसंधान अध्ययनों, सर्वेक्षणों तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का डिजाइन तैयार करना । औद्योगिक मनोविज्ञान डिवीजन तथा अन्य डिवीजनों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में बातचीत के माध्यम से भाग लेना, प्रशिक्षण सामग्री तथा सहायक उ□करण तैयार करना । तकनीकी रि□ोर्टें, विवरणियां तथा प्रगति रि□ोर्ट तैयार करना । कारखानों में संयत्र के अंदर चलाए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अभिकल□न तथा आयोजन में उच्चाधिकारियों को सहयोग देना । **मुख्यालय तथा अन्य शर्तें** : उ□र्युक्त मद सं0 9 के अनुरू□ ।

11. (रिक्ति सं. 11061111411) एक सहायक सं□ादक, भारतीय खान ब्यूरो, खान मंत्रालय । □द अनारक्षित है । अ0 यो0 : क : शैक्षिक : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समकक्ष । **ख : अनुभव** : प्रकाशन में तीन वर्ष का अनुभव । **वां.यो.** : क) राष्ट्रीय कैडेट कोर में बी या सी प्रशिक्षण प्रमाण□त्र । ख) □त्रकारिता में स्नातक डिग्री / डिप्लोमा तथा वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य के प्रलेखन में अनुभव । मुद्रण प्रैस तथा आधुनिक रिप्रोग्राफी □द्धतियों के संचालन का ज्ञान । **कार्य** : तकनीकी प्रकाशनों का सं□ादन करना तथा तकनीकी साहित्य संबंधी सूचनाओं का प्रलेखन एवं प्रसार करना, तकनीकी साहित्य का सार प्रस्तुत करना, मुद्रण करना और प्रकाशन करना । महानियंत्रक आई.बी.एम. या उनकी ओर से अन्य अधिकारियों द्वारा समय-समय □र सौं□ जाने वाले अन्य कार्य करना ।

12. (रिक्ति सं. 11061112411) एक मुख्य □ुस्तकाध्यक्ष-सह-प्रलेखन अधिकारी, योजना आयोग । □द अनारक्षित है । अ0 यो0 : क : शैक्षिक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री या समकक्ष । (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से □ुस्तकालय विज्ञान में स्नातक डिग्री या समकक्ष । **ख. अनुभव** : प्रलेखन तथा ग्रन्थ विज्ञान कार्य में अनुभव सहित किसी □ुस्तकालय में बारह वर्ष का अनुभव । **वां.यो.** : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से □ुस्तकालय विज्ञान में मास्टर डिग्री या समकक्ष । (ii) □त्रिकाओं में प्रकाशित कार्य (साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए) । (iii) अंग्रेजी के अलावा, किसी अन्य आधुनिक यूरो□ीय भाषा की जानकारी । **कार्य** : □ुस्तकालय का सामान्य प्रशासन योजना, संगठन तथा प्रबंधन करना । □ुस्तकालय के सदस्य-सचिव की हैसियत से □ुस्तकालय समिति से संबंधित कार्य करना । प्रलेखन तथा ग्रंथ-सूची संबंधी कार्य का □र्यवेक्षण करना । शोध-कर्ताओं को उनकी शोध □रियोजनाओं की योजना बनाने तथा प्रलेखन कार्यों में सहयोग देना और आवश्यक दस्तावेजों की उ□लब्धता सुनिश्चित करना ।

योजना आयोग के सदस्यों या अधिकारियों में पुस्तकालय सुविधाओं के प्रयोग को बढ़ावा देना । **मुख्यालय** : दिल्ली, किन्तु भारत में कहीं भी कार्य करना पड़ सकता है । **अन्य शर्तें** : जो उम्मीदवार दिनांक 01.01.2004 के बाद सरकारी सेवा में आए हैं, उन्हें सी सी एस (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत सेवा से जुड़े वर्षों का लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि वे नई पेंशन योजना के अन्तर्गत शामिल किए जाएंगे ।

13. (रिक्ति सं 11061113611) एक सहायक कार्यकारी इंजीनियर, केन्द्रीय भूजल बोर्ड, जल संसाधन मंत्रालय । पद अ.जा. के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है । पद शारीरिक विकलांग – आंशिक बहरापन (पी.डी.) या अस्थि विकलांग / चलने में असमर्थ / प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात / एक हाथ प्रभावित (ओ.ए.) उम्मीदवारों के लिए भी उपयुक्त है । **अ0 यो0 : क : शैक्षिक** : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से खनन या ड्रिलिंग या यांत्रिक या वैद्युत या सिविल इंजीनियरी में डिग्री या पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी में डिग्री या समकक्ष । **ख : अनुभव** : विभिन्न प्रकार के नलकूप या ड्रिलिंग रिगों के संचालन / अनुरक्षण तथा मरम्मत में दो वर्ष का अनुभव । **कार्य** : अन्वेषणात्मक तथा डिपोजिट कार्यों के एस्टीमेट तैयार करने सहित संबंधी सभी फील्ड कार्यों के प्रति उत्तरदायी होना । कार्यकारी इंजीनियरी की सभी तकनीकी, संचालन संबंधी, प्रशासनिक तथा लेखा मामलों में सहायता करना । कार्यकारी इंजीनियर की अनुपस्थिति में उनके कार्यों को देखना । डिवीजनल स्टोर के कार्यों की देखभाल के प्रति उत्तरदायी होगा ।

14. (रिक्ति सं 11051114211) दो भौतिक-विज्ञानी (चिकित्सा), स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार । पद अनारक्षित हैं । **अ0 यो0: शैक्षिक** : **क :** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी में एम.एससी. या समकक्ष तथा (ii) एम.एससी. के बाद बी.ए.आर.सी. / ए.ई.आर.बी. मान्यताप्राप्त संस्थानों से विकिरण विज्ञान / चिकित्सीय भौतिकी में डिप्लोमा या समकक्ष **अथवा ख** : बी.ए.आर.सी. / ए.ई.आर.बी. मान्यताप्राप्त संस्थानों से चिकित्सा या विकिरण भौतिकी में एम.एससी. या समकक्ष । **कार्य** : उम्मीदवारों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार के लोक नायक अस्पताल तथा गुरू तेग बहादुर अस्पताल के विकिरण चिकित्सा विभाग में कार्य करना होगा तथा लोक सेवा की आकस्मिकताओं के अनुसार प्रशासनिक तथा अन्य संबद्ध कार्य सहित इन अस्पतालों में विभिन्न प्रकार के मरीजों को देखना होगा । **मुख्यालय** : दिल्ली ।

विज्ञा. सं. 11/2011

15. (रिक्ति सं. 11061115311) एक प्रिंसिपल, राजकीय कला महाविद्यालय, चंडीगढ़ प्रशासन । पद अनारक्षित है । पद शारीरिक विकलांग उम्मीदवारों अर्थात् अस्थि विकलांग / चलने में असमर्थ / प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात / एक पैर प्रभावित (ओ.एल.) या दोनों पैर प्रभावित (बी. एल.) या एक हाथ प्रभावित (ओ.ए.) उम्मीदवारों के लिए भी उपयुक्त है । **अ0 यो0 : क : शैक्षिकः** ललित कला की किसी भी समुचित शाखा (अनुप्रयुक्त कला / चित्रकला तथा मूर्तिकला) में प्रथम श्रेणी या समकक्ष सहित स्नातक तथा मास्टर डिग्री या समकक्ष तथा समुचित विषय में पीएच.डी. या समकक्ष । **ख : अनुभव** : (i) अध्यापन या अनुसंधान या उद्योग के क्षेत्र में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव, जिसमें से कम से कम तीन वर्ष का अनुभव प्रोफ़ेसर के स्तर का होना चाहिए अथवा (ii) अध्यापन या अनुसंधान या उद्योग के क्षेत्र में न्यूनतम 13 वर्ष का अनुभव । अनुसंधान अनुभव के मामले में अच्छे शैक्षिक रिकार्ड तथा पुस्तकों या अनुसंधान पत्रों के प्रकाशनों / बौद्धिक संपदा अधिकार / पेंटेट रिकार्ड की अपेक्षा होगी जैसा चयन समित के विशेषज्ञ सदस्यों द्वारा उचित समझा जाएगा । यदि उद्योगों के अनुभव पर विचार किया जाता है, तो चयन समिति के विशेषज्ञ सदस्यों की अपेक्षाओं के अनुसार जैसा वे उचित समझें प्रोफ़ेसर के स्तर के समकक्ष प्रबंधकीय स्तर पर होगा, जिसमें प्रकल्पन या अभिकल्पन, विकास, योजना, क्रियान्वयन, विश्लेषण, गुणवत्ता नियंत्रण, नवीन प्रशिक्षण, तकनीकी पुस्तकों या शोध पत्रों के प्रकाशनों / बौद्धिक संपदा / पेंटेट अधिकार में सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए । प्रबंधन तथा नेतृत्व के लिए निष्पक्षता अनिवार्य होगी । **नोट- 1** : पीएच.डी. के लिए समकक्षता पांच अंतराष्ट्रीय जर्नल पत्रों के प्रकाशन पर आधारित होगी, प्रत्येक जर्नल में कम से कम दो अन्य लोगों का साझा योगदान होना चाहिए जिसमें पद धारक को प्रमुख लेखक के रूप में होना चाहिए और सभी 5 प्रकाशन लेखक के विशेषज्ञता के क्षेत्र से संबंधित होने चाहिएं । **नोट- 2** : पीएच.डी. मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त की हो । **नोट- 3** : डिप्लोमा संस्थान के अनुभव को डिग्री स्तर के संस्थान में समुचित स्तर पर प्राप्त अनुभव के बराबर जैसा लागू हो समझा जाएगा । तथापि ऊपर दर्शाई गई योग्यता अनिवार्य मानी जाएगी । **नोट- 4** : यदि किसी प्रणाली में श्रेणी या डिवीजन

<u>विज्ञा. सं. 11/2011</u>

प्रदान नहीं की जाती है, तो कुल मिलाकर न्यूनतम 60 % अंकों को प्रथम श्रेणी या डिवीजन के समकक्ष समझा जाएगा । यदि ग्रेड प्वांइट प्रणाली अनाई जाती है, तो संयुक्त ग्रेड प्वांइट औसत को निम्नलिखित समकक्ष अंकों में रिवर्तित कर दिया जाएगा :-

ग्रेड प्वांइट	अंकों की प्रतिशतता %
6.25	55
6.75	60
7.25	65
7.75	70
8.25	75

<u>वां.यो.</u> : एच.डी. के उरांत प्रकाशनों तथा एच.डी. छात्रों का मार्गदर्शन करने की अत्यंत अक्षा की जाएगी । **<u>कार्य</u>** : संस्थान के प्रधान के रू में कार्य करते हुए, वे कक्षा में शिक्षण, ाठ्यक्रम विकास, अनुसंधान तथा रामर्श आदि के अलावा, महाविद्यालय के शैक्षिक तथा प्रशासनिक प्रबंधन के प्रति उत्तरदायी होंगे/होंगी । **<u>मुख्यालय</u>** : राजकीय कला महाविद्यालय, चंडीगढ़ ।

<u>महत्वूर्ण</u>
आवेदन प्राप्ति की सामान्य अंतिम तारीख 30/6/2011 है ।
असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिुर, नागालैंड, त्रिुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और सीति जिले तथा चंबा जिले के ांगी उ-मंडल, अंडमान तथा निकोबार द्वी समूह या लक्षद्वी अथवा <u>विदेशों</u> में रह रहे उम्मीदवारों के मामले में केवल डाक द्वारा (<u>डाक द्वारा</u> /सीड ोस्ट) आवेदन त्र प्राप्ति की बढ़ाई गइ अंतिम तारीख 7/7/2011 है ।
सभी उम्मीदवारों की सब प्रकार से ात्रता निर्धारण करने की तारीख आवेदन प्राप्ति की सामान्य अंतिम तारीख होगी ।

विज्ञा. सं. 11/2011

टिप्पणी :

क) उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे इस विज्ञापन **सं. 11** के साथ प्रकाशित आवेदन प्रपत्र के माध्यम से ही आवेदन करें और आवेदन प्रपत्र के लिए आयोग को **न** लिखें। उनसे यह भी अनुरोध है कि वे आवेदन करने से पहले नीचे प्रकाशित पदों के विवरण तथा अनुदेशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लें।

ख) **पदों का स्वरूप** : अन्यथा उल्लिखित पदों के अतिरिक्त सभी पद सामान्य केन्द्रीय सेवा से संबंधित हैं।

(i) क्रम सं. 1, 3, 8, 11, 12, 13, 14 तथा 15 वाले पद स्थायी हैं।

(ii) क्रम सं. 2, 4, 5, 6 तथा 7 वाले पद अस्थायी हैं।

(iii) क्रम सं. 9 तथा 10 वाले पद स्थायी है किन्तु प्रारंभ में अस्थायी आधार पर भरे जाएंगे।

ग) **वेतनमान तथा वर्गीकरण** : वेतनमान के अंत में कोष्ठक में दी गई संख्याएं न्यूनतम वेतनमान पर यात्रा भत्ता तथा म.कि.भ. को छोड़कर लगभग समस्त परिलब्धियों (प्रतिमाह) को दर्शाती हैं।

(i) उपर्युक्त क्रम सं. 15 वाले पदों के लिए : 37400-67100/-(वेतन बैन्ड-4) + शैक्षिक ग्रेड पे 10000/- रू. + विशेष भत्ता 3000/- रू. (कु.प. 74574) सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप “क”, राजपत्रित अननुसचिवीय।

(ii) उपर्युक्त क्रम सं. 9 तथा 12 वाले पदों के लिए : 15600-39100/- (वेतन बैन्ड-3) +7600/- रू. (ग्रेड वेतन) (कु. प. 33640/- रू.) सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप “क” राजपत्रित, अननुसचिवीय।

<u>विज्ञा. सं. 11/2011</u>

(iii) उपर्युक्त क्रम सं. 2, 8, 10, 13 तथा 14 वाले पदों लिए : 15600-39100/- (वेतन बैन्ड-3) + 5400/- रू. (ग्रेड वेतन) (ु. प. 31710/- रू.) सामान्य न्द्रीय सेवा ग्रुप "" राजपत्रित, अननुसचिवीय ।

(iv) उपर्युक्त क्रम सं. 1 वाले पदों लिए : 15600-39100/- (वेतन बैन्ड-3) + 5400/- रू. (ग्रेड वेतन) (ु. प. 31710/- रू.) सामान्य न्द्रीय सेवा ग्रुप "" राजपत्रित ।

(v) उपर्युक्त क्रम सं. 5 तथा 6 वाले पदों लिए : 10000-325-15200/- (ु. प. 33000/- रू.) रक्षा ुणवत्ता आश्वासन सेवा ग्रुप "" ।

(vi) उपर्युक्त क्रम सं. 3 वाले पदों लिए : 9300-34800/-(वेतन बैन्ड-2) + 4600/- रू. (ग्रेड वेतन) (ु. प. 20989/- रू.) सामान्य न्द्रीय सेवा ग्रुप "ख" अराजपत्रित, अननुसचिवीय ।

(vii) उपर्युक्त क्रम सं. 4 तथा 11 वाले पदों लिए : 9300-34800/- (वेतन बैन्ड-2) + 4600/- रू. (ग्रेड वेतन) (ु. प. 20989/- रू.) ग्रुप "ख" राजपत्रित, अननुसचिवीय ।

(viii) उपर्युक्त क्रम सं. 7 वाले पदों लिए : 8000-275-13500/- (संशधन-पूर्व) (ु. प. 30000/- रू.) रक्षा ुणवत्ता आश्वासन सेवा ग्रुप "" ।

घ) **<u>30.06.2011 सामान्य अंतिम तारीख आयु सीमा</u>** :-

(i) 50 वर्ष से अधि नहीं : क्रम सं. 9,12 तथा 15 वाले पदों लिए

(ii) 45 वर्ष से अधि नहीं : क्रम सं. 5 वाले पदों लिए

(iii) 43 वर्ष से अधि नहीं : क्रम सं. 6 वाले पदों लिए

(iv) 40 वर्ष से अधि नहीं : क्रम सं. 13 वाले पदों लिए

(v) 38 वर्ष से अधि नहीं : क्रम सं. 8 वाले पदों लिए

(vi) 35 वर्ष से अधि नहीं : क्रम सं. 1, 2, 7, 10 तथा 14 वाले पदों लिए

<u>विज्ञा. सं. 11/2011</u>

(vii) 35 वर्ष से अधिक नहीं : क्रम सं. 3 वाले पदों के लिए

(इस मद के लिए आवेदन प्राप्ति की सामान्य अंतिम तारीख 10/8/2011 होगी)

(viii) 30 वर्ष से अधिक नहीं : क्रम सं. 4 तथा 11 वाले पदों के लिए

ड़) क्रम सं0 5 के सामने दर्शाई गई आयु सीमा अ.ज.जा. के उम्मीदवारों के लिए शिथिलनीय आयु सीमा है । क्रम सं0 6 तथा 8 के सामने दर्शाई गई आयु सीमा अ.पि.व. के उम्मीदवारों के लिए शिथिलनीय आयु सीमा है । क्रम सं0 13 के सामने दर्शाई गई आयु सीमा अ.जा. के उम्मीदवारों के लिए शिथिलनीय आयु सीमा है । अन्य सभी क्रम संख्याओं के सामने दर्शाई गई आयु सीमा सामान्य आयु सीमा है और अ.जा. / अ.ज.जा. के उम्मीदवारों को उनके लिए आरक्षित पदों के मामले में 5 वर्ष तथा अ.पि.व. के उम्मीदवारों को उनके लिए आरक्षित पदों के मामले में 3 वर्ष की छूट है । अ.जा. / अ.ज.जा. / अ.पि.व. के उम्मीदवारों को निर्धारित प्रपत्र में जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा । अन्य श्रेणियों के आवेदकों के लिए आयु संबंधी जो रियायत है, उसके लिए आवेदक कृपया "चयन द्वारा भर्ती के लिए उम्मीदवारों को अनुदेश" के संगत पैरा देखें ।

(च) शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार अथवा अशक्त उम्मीदवार जैसाकि मद (मदों) के सामने दर्शाया गया है, उन पदों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, जो उनके लिए आरक्षित नहीं हैं लेकिन उपयुक्त समझी गई हैं। तथापि, ऐसे उम्मीदवारों के बारे में इन पदों पर चयन हेतु विचार योग्यता के सामान्य मानकों के अनुसार किया जाएगा । कम से कम 40% संगत अक्षमता वाले व्यक्तियों को ही आरक्षण तथा अन्य छूटों का लाभ पाने का पात्र माना जाएगा, जैसाकि नियमों के अंतर्गत अनुमेय है । अतः शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार निम्नलिखित का लाभ उठा सकते हैं:

(i) नियमों के अंतर्गत मिलनेवाली आरक्षण तथा अन्य रियायतें और छूट केवल तभी स्वीकार्य होगी जब शारीरिक अशक्तता की डिग्री 40 प्रतिशत या अधिक हो और पद शारीरिक विकलांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हों ।

(ii) **नियमों के अंतर्गत मिलने वाली अन्य रियायतें तथा छूट** केवल तभी स्वीकार्य होंगी जब शारीरिक अशक्तता की डिग्री 40 प्रतिशत या अधिक हो और पद शारीरिक विकलांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हों ।

छ) __**मुख्यालय**__ : कुछेक पदों के सामने विशेष रूप से निर्दिष्ट स्थानों पर, अन्यथा भारत में या विदेश में कहीं भी कार्य करना पड़ सकता है ।

ज) __परिवीक्षा__ : चुने गए व्यक्तियों को नियमानुसार परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा ।

__संघ लोक सेवा आयोग__

__निरसन__

न्यायालयी विज्ञान निदेशालय, गृह मंत्रालय में उपशासकीय परीक्षक, संदिग्ध दस्तावेज के दो पदों पर भर्ती के संबंध में दिनांक 24/01/2009 को प्रमुख समाचार पत्रों / रोजगार समाचार में प्रकाशित आयोग के विज्ञापन सं0 2, मद सं0 5 (संदर्भ सं0 एफ. 1/44/2008 आर-II) के संदर्भ में यह अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त पदों पर भर्ती रद्द कर दी गई है ।

(इन्द्रजीत हाडा)
अवर सचिव

विज्ञा. सं. 11/2011

संघ लोक सेवा आयोग
शुद्धि पत्र

शिक्षा निदेशालय, रा0 रा0 क्षेत्र दिल्ली सरकार में शिक्षा अधिकारियों / सहायक निदेशक, शिक्षा (संदर्भ सं0 1/267/2009. आर-IV) के 20 पदों पर भर्ती के संबंध में दिनांक 23 जनवरी, 2010 को प्रमुख समाचार पत्रों / रोजगार समाचार में प्रकाशित आयोग के 2010 के विज्ञापन सं0 2, मद सं0 9 का अवलोकन करें ।

2. यह एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि ओ.ए. सं0 1411/2010 में माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण प्रधान पीठ, नई दिल्ली के दिनांक 7.10.2010 के आदेश के अनुसरण में दिनांक 19.11.2010 के पत्र के तहत रा0 रा0 क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा प्रेषित निर्णय को ध्यान में रखते हुए (क) (1) में उल्लिखित अनिवार्य योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मानविकी (वाणिज्य विषय सहित) या विज्ञान में कम से कम द्वितीय श्रेणी में मास्टर डिग्री या समकक्ष पढ़ा जाए ।

3. तदनुसार वाणिज्य में मास्टर डिग्री धारक वे उम्मीदवार जो पहले दिनांक 23 जनवरी, 2010 के पूर्व विज्ञापन के आधार पर आवेदन नहीं कर सके थे अब आवेदन कर सकते हैं । वाणिज्य में मास्टर डिग्री धारी पात्र उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्ति की संशोधित अंतिम तारीख अब 30/06/2011 होगी । असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उप-मंडल, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप अथवा विदेशों में रह रहे उम्मीदवारों के मामले में (विदेश से आवेदन भरने वाले या अंडमान निकोबार द्वीप समूह से डाक द्वारा आवेदन भेजने की अंतिम तारीख 07/07/2011 होगी । तथापि अनिवार्य योग्यता अर्थात् शैक्षिक योग्यता अन्य अनुभव तथा अन्य अपेक्षाओं के लिए प्रभावी तारीख 23 जनवरी, 2010 के पूर्व विज्ञापन में निर्धारित सामान्य अंतिम तारीख (अर्थात् 11.2.2010) ही होगी ।

4. वे उम्मीदवार जो पहले ही आवेदन कर चुके हैं उन्हें पुन: आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी ।

(इन्द्रजीत हाडा)
अवर सचिव

चयन द्वारा भर्ती के लिए उम्मीदवारों को अनुदेश और अतिरिक्त सूचनाएं

1. नागरिकता

कोई उम्मीदवार या तो:-

(क) भारत का नागरिक हो या

(ख) नेपाल की प्रजा हो या

(ग) भूटान की प्रजा हो या

(घ) भारत में स्थायी निवास के इरादे से 1 जनवरी 1962 से पहले भारत आया हुआ तिब्बती शरणार्थी हो या,

(ङ) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति जो भारत में स्थायी निवास के इरादे से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या पूर्वी अफ्रीकी देशों जैसे कीनिया, युगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व टंगानिका और जंजीबार), जाम्बिया, मलावी, जैरे और इथियोपिया या वियतनाम से प्रव्रजन कर आया है.

किन्तु शर्त यह है कि उपर्युक्त प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) और (ङ) से सम्बद्ध उम्मीदवार के पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र प्रदान कर दिया गया हो।

टिप्पणी :- जिस उम्मीदवार के मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक है आयोग द्वारा उसके आवेदन-पत्र पर विचार किया जा सकता है और नियुक्ति के लिए सिफारिश किए जाने पर उसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है बशर्ते कि सरकार उसे आवश्यक प्रमाण-पत्र प्रदान कर देती है.

2. आयु सीमाएं: इस पद के लिए आयु सीमाओं का उल्लेख उक्त विज्ञापन में किया गया है, विभिन्न वर्गों को आयु में जो छूट देय है उसके लिए छूट तथा रियायत संबंधी अनुदेश **देखें.**

3. न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं: सभी उम्मीदवारों को विज्ञापन में दी गई पद की अनिवार्य अपेक्षाओं और अन्य शर्तों को अवश्य पूरा करना होगा. उन्हें सलाह दी जाती है कि वे आवेदन प्रपत्र भेजने से पहले स्वयं इस बात से संतुष्ट हो लें कि वे विभिन्न पदों के लिए निर्धारित अनिवार्य योग्यता तो कम से कम पूरा करते ही हैं, पात्रता के संबंध में सलाह देने संबंधी किसी पूछताछ पर ध्यान नहीं दिया जाएगा.

नोट-I : निर्धारित अनिवार्य योग्यताएं न्यूनतम हैं और केवल इन योग्यताओं को रखने से ही उम्मीदवार साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने के हकदार नहीं हो जाते.

नोट-II : जब किसी विज्ञापन के आधार पर प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या अधिक हो तो आयोग निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक तरीकों द्वारा साक्षात्कार हेतु उम्मीदवारों की संख्या को यथोचित सीमा तक कम कर सकता है :

(क) विज्ञापन में निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं तथा अनुभव की अपेक्षा अधिक योग्यता और अनुभव के आधार पर या

(ख) संगत क्षेत्र में अनुभव के आधार पर या

(ग) अनिवार्य योग्यताएं प्राप्त करने के पहले या बाद के अनुभव को जोड़कर या

(घ) प्राक्चयन परीक्षण आयोजित करके.

इसलिए उम्मीदवारों को चाहिए कि वे संगत क्षेत्र में न्यूनतम शैक्षिक अर्हता से अधिक जो भी योग्यताएं तथा अनुभव रखते हों, उन सभी का उल्लेख करें ।

4. आवेदन शुल्क :

(क) उम्मीदवारों को निर्धारित शुल्क राशि का भुगतान केवल रु. 50/- के "केन्द्रीय भर्ती शुल्क टिकट" के माध्यम से ही करना होगा.

(ख) अ.जा. / अ.ज.जा. / शारीरिक विकलांग / किसी भी समुदाय की महिला उम्मीदवारों को कोई शुल्क देय नहीं होगा । अ.पि.व. के पुरूष उम्मीदवारों को शुल्क में कोई छूट नहीं होगी और उन्हें पूरा निर्धारित शुल्क देना होगा ।

(ग) उम्मीदवार प्रधान डाकघरों, सभी विभागीय डाकघरों (अर्थात् उप डाकघर स्तर के) तथा देश भर में स्थित चुने हुए डाकघरों की शाखाओं में भी उपलब्ध रु. 50/- मूल्य के "केन्द्रीय भर्ती शुल्क टिकट" खरीद लें और इसे आवेदन-पत्र में इस आशय के लिए निर्धारित किए गए स्थान पर चिपका दें और इसे डाकघर के काउन्टर लिपिक द्वारा डाक मुहर सहित इस प्रकार से रद्द करवा लें कि रद्द करने की छाप आंशिक रूप से आवेदन-पत्र पर भी आ जाए. इस बात का ध्यान रखें कि छाप स्पष्ट होनी चाहिए जिससे जारी करने वाले डाकघर का नाम तथा जारी करने की तारीख की पहचान आसानी से हो सके.

(घ) भारत के बाहर से आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को जैसी भी स्थिति हो भारत के उच्चायुक्त अथवा भारत के राजदूत या भारत सरकार के प्रतिनिधि के कार्यालय में निर्धारित शुल्क जमा कर देना चाहिए. इस भुगतान की मूल रसीद प्रत्येक आवेदन-पत्र के साथ संलग्न होनी चाहिए.

(ङ) आयोग द्वारा मनीआर्डर, पोस्टल आर्डर, बैंक ड्राफ्ट, चैक, करेंसी नोट और खजाना चालान के माध्यम से भेजा गया शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा और ऐसे आवेदन पत्रें को देखते की रद्रद कर दिया जाएगा. (च) **दिए गए आवेदन शुल्क को किन्हीं भी परिस्थितियों में वापिस नहीं लौटाया नहीं जाएगा और न ही चयन के लिए किसी अन्य परीक्षा के लिए सुरक्षित रखा जाएगा.**

(छ) निर्धारित पूरे शुल्क के बिना भेजे गए किसी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा और इसे देखते ही रद्द कर दिया जाएगा. आवेदन के इस प्रकार रद्द किए जाने के संबंध में किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा.

5. रियायत और छूट :

(क) आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों/ अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित भूतपूर्व सैनिकों और कमीशन प्राप्त अधिकारियों के मामले में ऊपरी आयु सीमा में उनकी सैनिक सेवा की अवधि और उसमें 3 साल की अवधि जोड़कर बनने वाली अवधि तक इन शर्तों पर छूट दी जाएगी कि आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख को (i) भूतपूर्व सैनिक द्वारा शपथ ग्रहण करने के बाद सशस्त्र सेना में की गई लगातार सेवा 6 मास से कम न हो और (ii) उसकी वास्तविक आयु से सेवा की अवधि घटाने के फलस्वरूप बची आयु निर्धारित आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो. यह छूट ऐसे आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों/ अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को भी प्राप्त है. जिन्होंने सेवा में 5 वर्ष की प्रारंभिक तैनाती अवधि पूरी कर ली है और जिनकी तैनाती अंतिम तारीख को और 5 वर्ष आगे बढ़ा दी गई है तथा जिनके मामलों में रक्षा मंत्रालय यह प्रमाण-पत्र जारी कर देता है कि चयन हो जाने के बाद नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से 3 महीने के अंतर्गत उन्हें कार्यमुक्त कर दिया जाएगा.इस पैरा के अंतर्गत आयु में छूट चाहने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित प्रपत्र में एक प्रमाण-पत्र् प्रस्तुत करना होगा.

टिप्पणी : ऐसे भूतपूर्व सैनिकों को, जिन्होने केन्द्रीय सरकार के अधीन किसी सिविल पद पर पहले से नियमित रोजगार प्राप्त कर लिया हो, केन्द्रीय सरकार के अधीन किसी उच्चतर पद पर अथवा सेवा में कोई दूसरा रोजगार प्राप्त करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों को यथा स्वीकार्य आयु सीमा में छूट का लाभ प्राप्त करने की अनुमति है. तथापि, ऐसे उम्मीदवार केन्द्रीय सरकार की नौकरियों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण का लाभ, यदि कोई हो, पाने के लिए पात्र नहीं होंगे.

(ख) उपर्युक्त (क) के तहत रियायत हेतु पात्र होने के लिए संबंधित उम्मीदवारों को अपने आवेदन पत्रों के साथ इस आशय के प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतियां संलग्न करनी चाहिए कि उन्हें रक्षा सेवाओं से मुक्त कर दिया गया है. उक्त प्रमाण पत्र नीचे दर्शाये गए उचित प्राधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने चाहिए तथा उन पर भारत में प्रव्रजन की तारीख अंकित होनी चाहिए या रक्षा सेवाओं में की गई सेवा की अवधि का उल्लेख होना चाहिए.

(i) आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों के मामले में :-

सेना : कार्मिक सेवा निदेशालय, सेना मुख्यालय नई दिल्ली

नौ सेना : कार्मिक सेवा निदेशालय, नौ सेना मुख्यालय, नई दिल्ली

वायु सेना : कार्मिक सेवा निदेशालय, वायु सेना मुख्यालय, नई दिल्ली

(ii) नौ सेना तथा वायु सेना के जूनियर कमीशन अधिकारी/अन्य रैंकों तथा समकक्ष पद के मामले में :-

सेना : विभिन्न रेजिमेंटों के रिकार्ड कार्यालयों द्वारा,

नौ सेना : नौ सेना रिकार्ड, बम्बई

वायु सेना : वायु सेना रिकार्ड, नई दिल्ली

(ग) केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आयु में छूट :- भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार केन्द्र/संघ शासित सरकार के कर्मचारियों को ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष (अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को 10 वर्ष तथा अपिव के व्यक्तियों को उनके लिए आरक्षित पदों के मामले में 8 वर्ष) की छूट है। वे उम्मीदवार जो इस पद के अन्तर्गत केन्द्र सरकार का कर्मचारी होने के आधार पर आयु में छूट का दावा करते हैं उन्हें इस **विज्ञापन के प्रकाशित होने की तारीख के बाद** में अपने नियोक्ता से कार्यालय के लेटर हेड पर इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह केन्द्र सरकार का नियमित कर्मचारी है और वह नैमित्तिक/ तदर्थ/दैनिक वेतन/घंटे वार भुगतान/संविदा आधार पर नियुक्त कर्मचारी नहीं है।

(घ) उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए आयु सीमा में छूट : सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त खेलों/क्रीड़ाओं के क्षेत्र में उत्कृष्ट पुरुष/महिला खिलाड़ियों को ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष (अ.जा./अ.ज.जा. से संबंधित व्यक्तियों के लिए 10 वर्ष तथा अ.पि.व. के व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों पर अ.पि.व. व्यक्तियों को 8 वर्ष) तक की छूट दी जा सकती है, बशर्ते कि वे समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित अन्य सभी शर्तें पूरी करते हैं. इस उप पैरा के अन्तर्गत आयु में छूट का दावा करने वाले व्यक्तियों को उम्मीदवार के अनुरोध पर आयोग द्वारा भेजे गये निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना चाहिए. बर्मा सरकार के उस देश में संवैधानिक परिवर्तनों के परिणामस्वरूप कार्यमुक्त हुए भारतीय कर्मचारियों के लिए ऊपरी आयु की कोई सीमा नहीं है। अन्य मामलों में असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर आयु सीमा का कड़ाई से पालन किया जाएगा और किसी को तीन वर्ष से अधिक की छूट नहीं प्रदान की जाएगी.

(ङ) विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं या न्यायिक कार्यवाई के तहत अपने पतियों से पृथक हुई महिलाओं के लिए आयु सीमा में छूट : विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं न्यायिक कार्रवाई के तहत अपने पति से पृथक हुई ऐसी महिलाओं को, जिनका पुर्ननियाह नहीं हुआ है, ऊपरी आयु सीमा में 35 वर्ष तक (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के सदस्यों को 40 वर्ष तक) तथा अ.पि.व. के सदस्यों को उनके लिए आरक्षित पदों के मामले में 38 वर्ष तक छूट प्राप्त है। इस उप-पैरा के अन्तर्गत आयु में छूट चाहने वाली महिलाओं को निम्नलिखित लिखित साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए.

(i) यदि विधवा हो तो अपने पति का मृत्यु प्रमाणपत्र तथा साथ ही इस आशय का शपथ-पत्र कि उसने अब तक पुनर्विवाह नहीं किया है।

(ii) तलाकशुदा महिलाओं तथा न्यायिक कार्रवाई के तहत अपने पतियों से पृथक हुई महिलाओं के मामले में, सक्षम न्यायालय के निर्णय/डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपि, जिसमें तलाक होने या न्यायिक कार्रवाई के तहत पृथक होने, जो भी स्थिति हो, की बात प्रमाणित की जा सके, तथा साथ में तलाकशुदा महिलाओं के संबंध में इस आशय का शपथ-पत्र कि उन्होंने अब तक पुनर्विवाह नहीं किया है।

(च) उन व्यक्तियों को जो सामान्यत: 1 जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर 1989 की अवधि के दौरान जम्मू एवं कश्मीर राज्य के अधिवासी रहे हो आयु सीमा में छूट :

उन सभी उम्मीदवारों को जो सामान्यत: 1 जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर 1989 की अवधि के दौरान जम्मू एवं कश्मीर राज्य के अधिवासी रहे हो, ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी । इस उप पैरा के अन्तर्गत छूट का दावा करने वाले उम्मीदवारों को उस जिला अधिकारी से या जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा इस कार्य के लिए नामोद्दिष्ट किसी अन्य प्राधिकारी से, जिसके क्षेत्राधिकार में उन्होंने सामान्यत: निवास किया हो, इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । छूट की यह अवधि 31/12/2011 तक लागू रहेगी ।

(छ) शारीरिक विकलांग (पी.एच.) व्यक्तियों के लिए आयु सीमा में छूट :

ग्रुप "क" तथा ग्रुप "ख" पदों/सेवाओं में नियुक्ति के लिए दृष्टिहीन, मूक-बधिर और अस्थि विक्लांग उम्मीदवारों को उनके लिए आरक्षित पदों के मामले में आयु में 5 वर्ष (अनु.जा./अ.ज.जा. उम्मीदवारों को कुल 10 वर्ष और अ.पि.व. उम्मीदवारों को 8 वर्ष) की छूट है । इस उप पैरा के अन्तर्गत छूट का दावा करने वाले व्यक्तियों को अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया हो कि उनकी शारीरिक अशक्तता चालीस प्रतिशत या उससे अधिक है। किसी भी स्थिति में, इन उम्मीदवारों की नियुक्ति चयन द्वारा सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले ग्रुप "क" तथा ग्रुप "ख" पदों के लिए सरकार द्वारा अलग-अलग निर्धारित शारीरिक आरोग्यता सम्बंधी मानदण्डों के अनुसार योग्य पाए जाने पर ही की जायेगी.

6. आवेदन किस प्रकार करें :

(क) उम्मीदवारों को इस विज्ञापन के साथ "रोजगार समाचार" में प्रकाशित आवेदन-प्रपत्र में आवेदन करना चाहिए. विदेशों में रह रहे उम्मीदवार सादे कागज पर आवेदन कर सकते हैं लेकिन प्रपत्र् का स्वरूप प्रकाशित विज्ञापन के पूर्णत: अनुरूप ही होना चाहिए. रोजगार समाचार के इस अंक में दिए गए प्रपत्र के अलावा किसी अन्य स्वरूप के प्रपत्र पर किए गए आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा. उम्मीदवार इस विज्ञापन में दिए गए आवेदन-पत्र को काट कर उसे मूल रूप में प्रयोग करें. आवेदन-पत्र बाल प्वाइंट पैन (स्याही के फैलने को रोकने के लिए) से ही भरा जाना चाहिए. यदि आवश्यक हो तो वे 'फुलस्केप आकार' (21 से.मी. X 30 से.मी.) के सफेद कागज़ पर "डबल स्पेस" में कागज के केवल एक ओर टाइप करा लें और कॉलम स्वयं अपने हाथ से भरें. यदि उम्मीदवार किन्हीं निजी एजेंसियों द्वारा छापे गए उपलब्ध आवेदन पत्र का प्रयोग करते हैं तो आयोग को इसमें कोई आपत्ति नहीं है तथापि उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि इसका स्वरूप आयोग के विज्ञापन में प्रकाशित प्रपत्र के पूर्णत: अनुरूप हो, यदि निजी एजेंसियों द्वारा छापे गए मार्ग निर्देशों या आवेदन-पत्र में छपाई के दौरान किसी अशुद्धि के कारण उम्मीदवारों द्वारा आवेदन पत्र में कोई गलत प्रविष्टियां कर दी जाती हैं तो उनका आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा और आयोग इस प्रकार आवेदन के रद्द किए जाने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा. आवेदन पत्र को इस प्रकार रद्द किए जाने के बारे में किसी प्रकार के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा. पूर्ववर्ती किसी भर्ती के सम्बंध में या किसी अन्य विज्ञापन के प्रपत्र पर किए गए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा. उम्मीदवार यह नोट कर लें कि आयोग द्वारा आवेदन पत्र उपलब्ध नहीं कराया जाएगा.

(ख) जो उम्मीदवार एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे निर्धारित शुल्क सहित प्रत्येक पद के लिए अलग से आवेदन-पत्र भेजें.

(ग) उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे आवेदन-पत्र के साथ एक अपना पता लिखा हुआ पोस्ट कार्ड भेजें, जिसके ऊपर कुल रु. 6.00 की टिकट लगी हो. इस कार्ड में विज्ञापन सं. तथा मद सं. तथा आवेदित पद के नाम का उल्लेख होना चाहिए. आयोग द्वारा उम्मीदवार को इस कार्ड को लौटाकर आवेदन की पावती दी जाएगी. जिसमें उम्मीदवार को दी

गई पंजीकरण संख्या का उल्लेख होगा. उम्मीदवार कृप्या नोट कर लें कि इस कार्ड के अतिरिक्त अलग से कोई पावती उन्हें नहीं भेजी जाएगी. यदि किसी उम्मीदवार को आवेदन-पत्र् प्राप्त करने की अंतिम तारीख से पंद्रह दिन के भीतर यह पोस्ट कार्ड नहीं मिलता है तो उसने जिस पद के लिए आवेदन किया है उसके पूरे विवरण देते हुए आयोग से इस संबंध में पूछताछ कर लेनी चाहिए.

(घ) (i) पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र संयुक्त सचिव (भर्ती), संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110069 को **30.06.2011** तक या उससे पहले अवश्य पहुंच जाने चाहिए.

(ii) केवल असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू तथा कश्मीर लाहौल और स्पीति जिले तथा हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के पांगी उपमंडल, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप अथवा विदेशों में रह रहे उम्मीदवारों से केवल डाक से (डाक /स्पीड पोस्ट से) आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तारीख **07.07.2011** होगी. बढ़ाए गए समय का लाभ उपर्युक्त क्षेत्रें/प्रदेशों से केवल डाक से प्राप्त आवेदन पत्रें के संबंध में ही दिया जाएगा. व्यक्तिगत रूप से या कूरियर सेवा की मार्फत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों के मामले में बढ़ाए गए समय का लाभ नहीं दिया जाएगा चाहे आवेदक का निवास स्थान कहीं भी हो. बढ़ाई गई अवधि का लाभ पाने वाले उम्मीदवारों को प्रमाण के रूप में उस क्षेत्र् या प्रदेश विशेष (जैसे : असम, मेघालय, जम्मू व कश्मीर आदि) का नाम, जहां से उन्होंने अपना आवेदन डाक से भेजा है, अलग शीट पर अपने हस्ताक्षर करके स्पष्ट रूप से उल्लेख करना चाहिए. यदि वे ऐसा नहीं करते तो उन्हें बढ़ाई गई अवधि का लाभ नहीं दिया जाएगा.

टिप्पणी-I : उम्मीदवार भली भांति यह नोट कर लें कि उनके आवेदन-पत्र न पहुंचने या किसी भी कारण उसके मिलने में किसी प्रकार के विलंब के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा. निर्धारित अंतिम तारीख के पश्चात्र किसी भी आवेदन को स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा विलम्ब से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रें को सीधे अस्वीकृत कर दिया जाएगा. अतः वे यह सुनिश्चित कर लें कि उनके आवेदन पत्र आयोग के कार्यालय में निर्धारित अंतिम तारीख को या उससे पहले पहुंच जाएं.

टिप्पणी-II : उम्मीदवार आयोग के काउंटर पर स्वयं आकर आवेदन-पत्र जमा करा सकते हैं जिस पर उन्हें उचित पावती दी जाएगी. आयोग के किसी कर्मचारी के मार्फत भेजे गए आवेदनों के प्रति आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी.

टिप्पणी-III : कूरियर द्वारा या किसी भी कूरियर सेवा द्वारा भेजे गए आवेदन-पत्रों को आयोग काउंटर पर व्यक्तिगत रूप से प्राप्त हुआ आवेदन पत्र माना जाएगा, उसे "डाक से" प्राप्त नहीं माना जाएगा.

टिप्पणी-IV : सम्पूर्ण जम्मू व कश्मीर राज्य के मामले में बढ़ाई गई अंतिम तारीख की छूट कैलेण्डर **वर्ष 2011** के अंत तक लागू रहेगी.

टिप्पणी-V : उम्मीदवारों से अनुरोध है कि आवेदन प्रपत्र भेजते समय वह लिफाफे के ऊपर "चयन द्वारा भर्ती" शब्द लिखें.

7. दस्तावेज / प्रमाण-पत्र : उम्मीदवार यह नोट कर लें कि उन्हें अपने आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की अभिप्रमाणित स्व-प्रमाणित प्रतियां भी लगानी चाहिए.

(क) : मैट्रिक / दसवीं कक्षा पास या समकक्ष प्रमाण पत्र की प्रतियां जिसमें जन्मतिथि का उल्लेख हो या केन्द्रीय / राज्य बोर्ड द्वारा जारी की गई मैट्रिक / दसवीं कक्षा स्तर की अंक तालिका या समकक्ष, जिसमें उनकी उम्र के दावे के समर्थन में जन्मतिथि दर्शाई गई हो । जहां संबंधित शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र / अंक तालिका में जन्म की तारीख का उल्लेख न किया गया हो, उस मामले में स्कूल छोड़ने संबंधी प्रमाण पत्र जिसमें जन्मतिथि का उल्लेख हो, (तमिलनाडु तथा केरल के मामलों की तरह से) स्वीकार्य होगा ।

(ख) : शैक्षिक योग्यताओं के दावे के समर्थन में समस्त शैक्षिक वर्षों की डिग्री / डिप्लोमा प्रमाणपत्रों, जिनमें अंकों का भी उल्लेख किया गया हो, की प्रतियां आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जानी चाहिएं । डिग्री / डिप्लोमा प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में, सभी शैक्षिक वर्षों की अंक तालिकाओं के साथ-साथ अनंतिम प्रमाण पत्र भी स्वीकार किए जाएंगे ।

(ग) उम्मीदवार द्वारा धारित योग्यताएं यदि समकक्ष है तो उसे उनके समर्थन में प्राधिकारी सहित उस आदेश/पत्र की प्रति (संख्या तथा तारीख सहित) जिसके अंतर्गत इसे उस रूप में स्वीकार किया गया हो।

(घ) दावा किए गए सम्पूर्ण अनुभव के लिए संगठन (संगठनों)/ विभाग (विभागों) के अध्यक्ष (अध्यक्षों) द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र (प्रमाणपत्रों) जिसमें स्पष्ट रूप से रोजगार की अवधि (तारीख, मास तथा वर्ष), मूल वेतन तथा समेकित वेतन का उल्लेख किया गया हो, की निर्धारित प्रपत्र में स्व-प्रमाणित प्रतियां । इस प्रमाणपत्र (प्रमाणपत्रों) में उक्त पद (पदों) पर किए गए कार्यों का स्वरूप/प्राप्त किए गए अनुभव की अवधि (अवधियों) सहित उल्लेख किया जाना चाहिए. यदि पद से संबंधित अनुभव प्रमाणपत्र निर्धारित प्रपत्र में नहीं है किंतु उसमें ऊपर दर्शाया गया समस्त विवरण दिया गया है तो आयोग उस पर गुणों के आधार पर विचार करेगा ।

(ड़) अ.जा. /अ.ज.जा. / अ.पि.व. के लिए आरक्षित पदों के लिए छूट का दावा करने वाले उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित प्रपत्र में जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें उम्मीदवार की जाति, अधिनियम / आदेश जिसके अंतर्गत उस जाति को अ.जा. / अ.ज.जा. / अ.पि.व. के रूप में मान्यता दी गई हो तथा गांव / शहर जिसमें सामान्यत: वह उम्मीदवार निवास करता हो ।

(च) समुदाय प्रमाणपत्र (अ.पि.व.) के अलावा, अन्य पिछड़े वर्ग (अ.पि.व.) के आधार पर आरक्षण का लाभ चाहने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित प्रपत्र में यह घोषणा करनी होगी कि वह नियत तारीख को क्रीमीलेयर से संबंधित नहीं है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो । पद के लिए आवेदन प्राप्ति की निर्धारित अंतिम तारीख ही नियत तारीख के रूप में मानी जाएगी ।

(छ) चिकित्सीय स्वस्थता के निर्धारित मानदण्डों के आधार पर पद पर नियुक्ति के पात्र शारीरिक विकलांग उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किए गए शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र ।

(ज) "मैट्रिक के बाद विवाहोपरान्त या पुनर्विवाह या तलाक आदि के कारण, नाम में परिवर्तन की स्थिति में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे :-

i महिलाओं के विवाहित होने की स्थिति में - पति के पासपोर्ट की फोटोप्रति, जिसमें पत्नी के नाम का उल्लेख हो या विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए विवाह प्रमाणपत्र की अनुप्रमाणित प्रति या पति तथा पत्नी द्वारा ओथ कमिश्नर के सामने विधिवत शपथ लेते हुए एक संयुक्त फोटो सहित एक शपथ पत्र प्रस्तुत करें ।

ii महिलाओं के पुनर्विवाह की स्थिति में - पहले पति के संदर्भ में तलाक विलेख / मृत्यु प्रमाणपत्र जैसी भी स्थिति हो, तथा वर्तमान पति के पासपोर्ट की फोटोप्रति जिसमें पत्नी के नाम का उल्लेख हो या विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए विवाह प्रमाणपत्र की अनुप्रमाणित प्रति या पति तथा पत्नी द्वारा ओथ कमिश्नर के सामने विधिवत शपथ लेते हुए एक संयुक्त फोटोग्राफ सहित पत्नी को शपथ लेते हुए एक शपथ पत्र प्रस्तुत करें ।

iii तलाकशुदा महिलाओं के मामले में –तलाक आदेश तथा एक पक्षीय विलेख / शपथ पत्र, जिस पर ओथ कमिश्नर के सामने विधिवत रूप से शपथ ली गई हो, की प्रमाणित प्रति ।

iv अन्य परिस्थितियों में महिला एवं पुरूष, दोनों के नाम परिवर्तन के मामले में, एक पक्षीय विलेख / शपथ पत्र जिस पर ओथ कमिश्नर के सामने विधिवत रूप से शपथ ली गई हो और दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों की मूल समाचार कतरनें (एक दैनिक समाचार पत्र आवेदक के स्थायी तथा वर्तमान पते या निकटवर्ती क्षेत्र का होना चाहिए) तथा राजपत्र अधिसूचना की प्रति ।

1 आयु में छूट के संबंध में प्रमाण पत्र :

i ई.सी.ओ./एस.एस.सी.ओ. सहित भू. सै. तथा कमीशन प्राप्त अधिकारियों के मामले में सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित प्रपत्र में ।

ii केन्द्र सरकार /संघ शासित सरकार के कर्मचारियों के लिए सक्षम प्राधिकारी से।

iii उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सक्षम प्राधिकारी से।

iv विधवा / तलाकशुदा/न्यायिक पृथककरण के तहत अपने पति से अलग रह रही महिलाओं के लिए ।

v वे व्यक्ति जिन्होंने 1 जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1989 तक सामान्यत: जम्मू कश्मीर में निवास किया हो ।

(झ) वे व्यक्ति जो नैमित्तिक / तदर्थ / दैनिक वेतन/ घंटेवार भुगतान / संविदा आधार के अलावा स्थाई या अस्थायी आधार पर पहले से ही सरकारी सेवा में हैं उन्हें यह घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि उन्होंने अपने कार्यालय प्रधान / विभागाध्यक्ष को यह लिखकर दे दिया है कि उन्होंने उक्त पद पर चयन के लिए आवेदन किया है ।

नोट-I आवेदन-पत्र के साथ मूल प्रमाण-पत्र नहीं भेजे जाने चाहिए, इन्हें साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किया जाना चाहिए.

नोट-II : प्रवेश पत्र को जन्मतिथि के साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा । बाद में जन्मतिथि में परिवर्तन के किसी भी अनुवर्ती अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा या स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

नोट-III : आवेदन पत्र में किए गए किन्हीं भी दावों के समर्थन में दस्तावेजी कागजात आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने चाहिएं । अलग से भेजे गए समर्थन संबंधी दस्तावेज भी स्वीकार किए जा सकते हैं, बशर्ते कि ये अंतिम तारीख तक या उससे पहले संघ लोक सेवा आयोग कार्यालय में प्राप्त हो गए हों ।

टिप्पणी IV. उम्मीदवारों की साक्षात्कार हेतु लघुसूची तैयार करने के लिए वैध अनुभव की गणना करते समय अंशकालिक, दैनिक वेतन, विजिटिंग अतिथि फैकल्टी आधार पर प्राप्त अनुभव की अवधि की गणना नहीं की जाएगी ।

8. कदाचार के दोषी पाए गए उम्मीदवारों के विरुद्ध कार्रवाई :

उम्मीदवारों को यह चेतावनी दी जाती है कि आवेदन-पत्र भरते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें, और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं, उन्हें यह चेतावनी भी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति के किसी प्रविष्टि में कोई शोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें तथा न ही वे फेरबदल किया गया/जाली प्रलेख प्रस्तुत करें यदि दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति हो तो इस विसंगति के बारे में उम्मीदवार को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए.

जो उम्मीदवार निम्नलिखित कारण से आयोग द्वारा दोषी घोषित किया गया है.

(क) किसी भी प्रकार से अ□नी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अथवा
(ख) नाम बदल कर □रीक्षा दी है, अथवा
(ग) किसी अन्य व्यक्ति से छल रू□ से कार्य साधन कराया है, अथवा
(घ) जाली प्रलेख या ऐसे प्रलेख प्रस्तुत किए हैं जिनमें फेरबदल किया गया है, अथवा
(ङ) गलत या झूठे वक्तव्य दिए गए हैं या कोई महत्व□ूर्ण सूचना छि□ायी गई है, अथवा
(च) अ□ने चयन के लिए उम्मीदवारी हेतु किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उ□ायों का सहारा लिया है, अथवा
(छ) □रीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, अथवा
(ज) उत्तर □ुस्तिकाओं□र असम्बद्ध बातें लिखी हों जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय हों, अथवा.
(झ) □रीक्षा भवन में और किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया हो, अथवा

(ट) □रीक्षा चलाने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को □रेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति □हुंचाई हो, अथवा
(ठ) □रीक्षा हाल/साक्षात्कार कक्ष में मोबाइल फोन/संचार यन्त्र लाना मना है.
(ड)□ूर्वोक्त खण्डों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयास किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, तो उस □र आ□राधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रोसीक्यूशन) चलाया जा सकता हैं, और इसके साथ ही उसे –

(i) आयोग उस चयन से जिसका वह उम्मीदवार है अयोग्य ठहरा सकता है, अथवा
(ii) उसे स्थायी रू□ से अथवा एक विशेष अवधि के लिए
- आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी □रीक्षा अथवा चयन से
- केन्द्रीय सरकार द्वारा अ□ने अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है, और

(iii) यदि वह सरकार के अन्तर्गत □हले से ही सेवा में है तो उसके विरूद्ध उ□युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है.

9. अन्य सूचना/अनुदेश

(क) सभी उम्मीदवारों को चाहे वे □हले से सरकारी नौकरी में हो या सरकारी स्वामित्व के औद्योगिक या इसी प्रकार के अन्य संगठनों में नियुक्त हों या प्राइवेट रोजगार में हों उन्हें अ□ना आवेदन-□त्र आयोग को सीधे ऑन लाइन के माध्यम से भेजना चाहिए. जो व्यक्ति □हले से ही सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से नैमित्तिक/तदर्थ/दैनिक दर/ घंटेवार भुगतान/संविदा आधार के कर्मचारी से इतर प्रभारी कर्मचारियों की हैसियत से काम कर रहे हैं, उन्हें यह घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि उन्होंने लिखित रू□ से अ□ने कार्यालय/विभाग के प्रधान को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस चयन के लिए आवेदन किया है.

(ख) सभी उम्मीदवारों की हर तरह से □ात्रता निर्धारित करने की तिथि आवेदन-□त्र प्राप्त करने के लिए नियत सामान्य **अंतिम तिथि अर्थात 30-06-2011 होगी.**

(ग) अनिवार्य योग्यताओं□के बारे में समकक्ष योग्यता के संबंध में, यदि कोई उम्मीदवार किसी विशेष योग्यता को विज्ञा□न की अ□ेक्षा के अनुसार किसी योग्यता के समकक्ष होने का दावा करता है तो उसे इस संबंध में वह आदेश/ □त्र, जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम (संख्या तथा तारीख) प्रस्तुत करना होगा जिसके अंतर्गत उक्त योग्यता को समकक्ष तौर □र स्वीकार किया गया हो अन्यथा आवेदन □त्र को रद्द कर दिया जाएगा ।

(घ) (i) आवेदन-प्रपत्र में दिए गए पते में यदि कोई परिवर्तन हो तो इस बारे में संयुक्त सचिव (भर्ती), संघ लोक सेवा आयोग को सूचना तुरन्त दी जानी चाहिए. ऐसा करते समय विज्ञापन संख्या, मद संख्या, पद का नाम, सं.लो.से.आ. की संदर्भ संख्या तथा उम्मीदवार की पंजीकरण संख्या का भी हवाला दिया जाए.

(ii) उम्मीदवारों से यह अनुरोध है कि यदि आवश्यक हो तो वे अपने पत्रें को अपने नए पते पर प्रेषित करने की व्यवस्था करें. सं.लो.से.आ. उम्मीदवारों के पतों में हुए परिवर्तनों का रिकार्ड अपने पास रखने का पूरा प्रयास करता है, परन्तु वह इस मामले में किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं स्वीकार कर सकता.

(ड़) उम्मीदवारों से यदि अपेक्षा की गई तो उन्हें आयोग द्वारा निर्धारित स्थान पर वैयक्तिक साक्षात्कार के लिए अवश्य उपस्थित होना होगा, साक्षात्कार हेतु बुलाए गए उम्मीदवारों को आयोग कोई यात्रा खर्च और अन्य खर्च नहीं देता है. आयोग बल्कि उम्मीदवार के निवास स्थान से निकटतम रेलवे स्टेशन से साक्षात्कार के स्थान तक अथवा जहां से उम्मीदवार वास्तव में इस यात्रा को करता है, जो भी साक्षात्कार के स्थान से नजदीक पड़ता हो तथा वापसी उस स्थान तक अथवा उम्मीदवार द्वारा किए गए रेलवे किराए के वास्तविक खर्चे को, जो भी कम हो, को द्वितीय श्रेणी के मेल रेल किराए की दरों पर अपना सहयोग देता है. इसका ब्यौरा उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर दिया जाएगा.

(च) जिन उम्मीदवारों का साक्षात्कार दिल्ली में होता है उन्हें आयोग द्वारा उनके द्वारा किराये पर किये गये खर्चों का भुगतान साक्षात्कार वाले दिन उसी तारीख को किया जाएगा. बशर्ते कि वे सारी शर्तें पूरी करतें हों, जिन उम्मीदवारों को दिल्ली के अलावा अन्य स्थानों पर साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है उन्हें उसका भुगतान बाद में मनीआर्डर द्वारा कर दिया जाएगा.

(छ) साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने से यह आश्वासन नहीं मिलता है कि उनका चुनाव कर लिया जाएगा. चुने हुए उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश सरकार द्वारा जारी किए जाएंगे.

(ज) उम्मीदवार को शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होना चाहिए । चुने जाने पर उन्हें ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा कराने के लिए तैयार रहना होगा और ऐसे चिकित्सा अधिकारियों को संतुष्ट करना होगा जो सरकार अपेक्षा करे.

(झ) उम्मीदवारों को उनके आवेदन-पत्रों के परिणामों के बारे में यथा समय सूचित कर दिया जाएगा और परिणाम के बारे में की गई अंतरिम पूछताछ अनावश्यक है तथा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा. आयोग साक्षात्कार/नियुक्ति के लिए चयन न होने के कारणों के बारे में उम्मीदवारों से कोई पत्र व्यवहार नहीं करता है.

(ट) आयोग अपने विवेक से विशेष योग्यता तथा अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को उच्चतर प्रारंभिक वेतन प्रदान कर सकता है.

(ठ) अपने पक्ष में किसी प्रकार का प्रचार करने से उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा.

जांच सूची

आवेदन पत्र भेजने से पूर्व निम्नलिखित को सत्यापित कर लें

(क) कि भेजा जाने वाला आवेदन पत्र रोजगार समाचार में दिए गए निर्धारित प्रपत्र के अनुसार है ।
इसे आयोग की वेबसाइट www.upsc.gov.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है ।

(ख) कि आवेदन पत्र के भाग-1 तथा भाग-2 में दिए गए सभी कॉलम पूर्णत: रोजगार समाचार में प्रकाशित

या आयोग की वेबसाइट में दिए गए 'उम्मीदवारों के लिए अनुदेश' के अनुसार भरे गए हैं ।

(ग) कि किसी भी कॉलम को गलत नही भरा गया ह या खाली नही छोड़ा गया ह, क्योंकि उनमें दी गई सूचनाओ का प्रयोग साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवार की त्रता निर्धारण के लिए किया जाएगा ।

(घ) कि सभी शक्षिक योग्यताओ तथा सबात क्षेत्र में अनुभव (निर्धारित न्यूनतम योग्यताओ तथा अनुभवों के अतिरिक्त) का उल्लेख आवेदन त्र में कर दिया गया ह, क्योंकि आयोग उच्चतर योग्यताओ तथा / या अनुभव के आधार र उम्मीदवारों की सख्या को यथोचित सीमा तक सीमित कर सकता ह।

(ङ) कि आवेदन त्र में, किए गए दावों, जन्म की तारीख, ग्री प्रमाणत्रों (अक तालिका सहित), अनुभवों आदि सबधी दी गई सूचनाओ की प्रतिया सलग्न करें ।

(च) सलग्न किए गए दस्तावेजों / प्रमाण त्रों में दी गई किसी सूचना र तब तक विचार नही किया जाएगा जब तक उसका उल्लेख आवेदन त्र में न किया गया हो ।

(छ) कि यदि उम्मीदवार द्वारा धारित योग्यता / निर्धारित योग्यताओ के समकक्ष हैं, तो ऐसे आदेश / त्र की प्रति, जिसमें योग्यताओ को समकक्ष माना गया हो, सलग्न की जाए ।

(ज) कि अनुभव सबधी प्रमाणत्र 'उम्मीदवारों के लिए अनुदेश' के रा 7 के अनुसार ह।

(झ) कि शुल्क की राशि 50/- रू0 ह, जो केन्द्रीय भर्ती शुल्क टिकट (सी.आर.एफ.एस.) के माध्यम से ही देय ह। भुगतान के किसी अन्य माध्यम को स्वीकार नही किया जाएगा । यह सुनिश्चित कर लें कि केन्द्रीय भर्ती शुल्क टिकट, फार्म र चिका दिया गया ह और उसे ाकघर द्वारा रद्द कर दिया गया ह।

(ञ) कि अ.जा./अ.ज.जा./अ..व./शा.वि./भू.स से सबद्ध होने का प्रमाण-त्र निर्धारित प्रत्र में ह, जसा कि रोजगार समाचार त्र में दिया गया ह। सभी निर्धारित प्रत्र आयोग की वेबसाइट से भी ाउन लो किए जा सकते हैं ।

(ट) कि आयु में छूट प्राप्त करने के लिए सरकारी कर्मचारी होने का प्रमाणत्र, विज्ञान के प्रकाशन की तारीख के बाद जारी किया गया हो ।

(ठ) कि आवेदन त्र र्याप्त समय रहते भेजा जाए जिससे कि यह आवेदन प्राप्त करने की अतिम तारीख तक या उससे हले आयोग कार्यालय में हुच जाए ।

() कि उम्मीदवार आवेदन त्र भेजते समय, लिफाफे के शीर्ष र <u>"चयन द्वारा भर्ती"</u> स्ष्ट शब्दों में लिखें । प्रत्येक आवेदन त्र के लिए अलग लिफाफे का इस्तेमाल करें ।

(ढ) कि आवेदन त्र सयुक्त सचिव (भर्ती), सघ लोक सेवा आयोग, धौलुर हाउस, शाहजहारो, नई दिल्ली-110069 को भेजा जाना ह।

महत्वूर्ण

(क) सघ लोक सेवा आयोग के रीक्षा रीसर /साक्षात्कार हाल में मोबाइल फोन लाने र प्रतिबध ह।

(ख) सरकार एैसी श्रम शक्ति के लिए प्रयासरत है जो महिलाओं और पुरूषो के संतुलन को दर्शाती हो और महिला उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करती हो ।

(ग) यदि उम्मीदवार आवेदन के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में किसी प्रकार का मार्गदर्शन / जानकारी/ स्पष्टीकरण आदि चाहते हैं तो वे आयोग परिसर में गेट 'सी' पर संघ लोक सेवा आयोग के सुविधा केन्द्र पर वैयक्तिक रूप से या दूरभाष सं0 011-23385271 / 011-23381125/ 011-23098543 पर कार्य दिवसों के दौरान 10.00 बजे से 17.00 बजे तक संपर्क कर सकते हैं ।

निर्धारित प्रपत्र

प्रपत्र–I

(क) भभारत सरकार के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण–पत्र का फार्म '

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी * ....सुपुत्र /सुपुत्री' श्री.. जो गांव/कस्बा' .... जिला/ मंडल' .... राज्य / संघ राज्य क्षेत्र' ....के / की * निवासी हैं........................... ....जाति/ जनजाति * के /की * है जिसे निम्नलिखित के अधीन अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता दी गई है :-

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश , 1950 @

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश , 1950 @

संविधान (अनुसूचित जातियां) संघ राज्य क्षेत्र आदेश , 1951@

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) संघ राज्य क्षेत्र आदेश , 1951@

[अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां सूची (संशोधन) आदेश , 1956 , बम्बई पुनर्गठन अधिनियम , 1960 , पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम , 1970 और उत्तर पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 तथा अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (संशोधन) अधिनियम , 1976 मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986, अरूणाचल प्रदेश के राज्य अधिनियम, 1986 तथा गोवा, दमन और दीव (पुनर्गठन) अधिनियम, 1987 द्वारा यथा संशोधित.]

संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश , 1956 @

संविधान (अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1959, अनुसूचित

जाति तथा अनुसूचित जनजातियां (संशोधन) अधिनियम, 1976 @ द्वारा यथा संशोधित ।

संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जातियां आदेश , 1962@

संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजातियां आदेश , 1962 @

संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जातियां आदेश , 1964@

संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजातियां आदेश , 1967 @

संविधान (गोवा , दमन और दीव) अनुसूचित जातियां आदेश , 1968 @

संविधान (गोवा , दमन और दीव) अनुसूचित जनजातियां आदेश , 1968 @

संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित जनजातियां आदेश , 1970 @

संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जातियां आदेश , 1978 @

संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजातियां आदेश , 1978 @

संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश , 1989 @

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश , (संशोधन) अधिनियम, 1990 @

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश , (संशोधन) अधिनियम, 1991 @

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991 @

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 @

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, (संशोधन) अधिनियम, 2002 @

संविधान (अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां) आदेश, अधिनियम, 2002 @

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, (द्वितीय संशोधन) अधिनियम ,2002 @

% 2. अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के ऐसे व्यक्तियों के मामले में लागू जो एक राज्य / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से दूसरे राज्य / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में प्रव्रजन कर चुके हैं ।

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी———————————————————————* ....
....ग्राम/ कस्बा* ....
..........ज़िला /मंडल*... राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*..............................जो ....जाति / जनजाति * से सम्बद्ध है जिसे ....राज्य /संघ राज्य क्षेत्र * में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त है के पिता / माता श्री /श्रीमती* ....को ——————————————————द्वारा दिनांक ——————————— को जारी प्रमाण पत्र के आधार पर जारी किया जाता है ।

% 3. श्री/श्रीमती/कुमारी * ....और / या* उनका परिवार साधारणतः गांव / कस्बा* ....ज़िला / मंडल*.............................. राज्य / संघ राज्य क्षेत्र *..........................में रहते / रहती हैं ।

हस्ताक्षर—————————

**पदनाम———————————————
(कार्यालय की मुहर सहित)
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*

स्थान........................
तारीख...........................

*जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें ।

@कृपया राष्ट्रपति का विशिष्ट आदेश निर्दिष्ट करें ।

%जो पैरा लागू न हो उसे काट दें ।

टिप्पणीः——— यहां साधारणतः रहते (रहती) हैं का अर्थ वह होगा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है ।

** अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारियों की सूची ।

(i) ज़िला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त ज़िला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/डिप्टी कमिश्नर /एडीशनल डिप्टी कमिश्नर/डिप्टी कलेक्टर प्रथम श्रेणी का स्टाइपेन्डरी मजिस्ट्रेट/# सब डिविज़नल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट/एक्स्ट्रा असिस्टेन्ट कमिश्नर

†(प्रथम श्रेणी के स्टाइपेन्डरी मजिस्ट्रेट से कम रैंक का न हो) ।

(ii) चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट / एडीशनल चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट ।

(iii) रेवेन्यू अफसर जिसका ओहदा (रैंक) तहसीलदार से कम न हो ।

(iv) उस इलाके का सब डिविजनल आफिसर जहां उम्मीदवार और या उसका परिवार सामान्यतः से रहता हों

(v) प्रशासक/प्रशासक के सचिव/विकास अधिकारी (लक्षद्वीप)

<u>प्रोफार्मा–II</u>

भारत सरकार के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का फार्म '

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी' .... सुपुत्र/सुपुत्री/'श्री ....जो ज़िला/ मंडल ' ....के गांव / कस्बा ' .... राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ' ....के/की 'निवासी हैं .... समुदाय से संबंधित हैं जिसे निम्नलिखित के अधीन अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता दी गई है :.

@ भभारत सरकार के राजपत्र असाधारण, भभाग–1, खण्ड 1, संख्या 186 में 13 सितम्बर, 1993 को प्रकाशित भभारत सरकार के कल्याण मंत्रालय का दिनांक 10 सितम्बर, 1993 के संकल्प सं0 12011/68/93–बी0 सी0 सी0 ।

@ भभारत सरकार के राजपत्र असाधारण, भभाग–1 ए खण्ड 1, संख्या 163 में 20 अक्तूबर, 1994 को प्रकाशित भभारत सरकार के कल्याण मंत्रालय का दिनांक 19 अक्तूबर, 1994 के संकल्प सं0 12011/9/94–बी0 सी0 सी0 ।

@ भभारत सरकार के राजपत्र असाधारण, भभाग–1 ए खण्ड 1, संख्या 88 में 25 मई , 1995 को प्रकाशित भभारत सरकार के कल्याण मंत्रालय का दिनांक 24 मई , 1995 के संकल्प सं0 12011/7/95–बी0 सी0 सी0 ।

@ भभारत सरकार के राजपत्र असाधारण भभाग–1 ए खण्ड 1, संख्या 60 में 11.03. 1996 को प्रकाशित भभारत सरकार के कल्याण मंत्रालय का दिनांक 09.03.1996 के संकल्प सं0 12011/96/94–बी0 सी0 सी0 ।

@ भभारत सरकार के राजपत्र असाधारण, भभाग–1 ,खण्ड 1, संख्या 210 में 11 दिसम्बर , 1996 को प्रकाशित भभारत सरकार के कल्याण मंत्रालय का दिनांक 6 दिसम्बर, 1996 के संकल्प सं0 12011/44/96–बी0 सी0 सी0 ।

@ भभारत सरकार के राजपत्र असाधारण, भभाग–1ए खण्ड 1, संख्या 239 में 17 दिसम्बर , 1996 को प्रकाशित भभारत सरकार के कल्याण मंत्रालय का दिनांक 03 दिसम्बर , 1997 के संकल्प सं0 12011/13/97–बी0 सी0 सी0 ।

@ भभारत सरकार के राजपत्र, असाधारण, भभाग–1ए खण्ड 1, संख्या 236 में 12 दिसम्बर , 1997 को प्रकाशित भभारत सरकार के कल्याण मंत्रालय का दिनांक 11 दिसम्बर , 1997 के संकल्प सं0 12011/99/94–बी0 सी0 सी0 ।

@ भभारत सरकार के राजपत्र असाधारण, भभाग–1ए खण्ड 1, संख्या 241 में 27 अक्तूबर, 1999 को प्रकाशित भभारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का दिनांक 27 अक्तूबरए 1999 के संकल्प सं0 12011/68/98–बी0 सी0 सी0।

@ भभारत सरकार के राजपत्र असाधारण, भभाग–1ए खण्ड 1, संख्या 270 में 6 दिसम्बर , 1999 को प्रकाशित भभारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का दिनांक 6 दिसम्बर , 1999 के संकल्प सं0 12011/88/98–बी0 सी0 सी0 ।

@ भभारत सरकार के राजपत्र असाधारण, भभाग–1ए खण्ड 1, संख्या 71 में 4 अप्रैल, 2000 को प्रकाशित भभारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का दिनांक 4 अप्रैल, 2000 के संकल्प सं0 12011/36/99–बी0 सी0 सी0 ।

@ भभारत सरकार के राजपत्र असाधारण, भभाग–1ए खण्ड 1, संख्या 210 में 21 सितम्बर, 2000 को प्रकाशित भभारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का दिनांक 21 सितम्बर, 2000 के संकल्प सं0 12011/44/99–बी0 सी0 सी0 ।

@ भभारत सरकार के राजपत्र असाधारण, भभाग–1ए खण्ड 1, संख्या 246 में 6 दिसम्बर, 2001 को प्रकाशित भभारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का दिनांक 6 दिसम्बर, 2001 के संकल्प सं0 12011/9/2000–बी0 सी0 सी0।

@ भभारत सरकार के राजपत्र असाधारण, भभाग–1ए खण्ड 1, संख्या 151 में दिनांक 20 जून, 2003 को प्रकाशित भभारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का दिनांक 19 जून, 2003 के संकल्प सं0 12011/1/2001–बी0 सी0 सी0 ।

@ भभारत सरकार के राजपत्र असाधारण, भभाग–1ए खण्ड 1, संख्या 9 में दिनांक 13 जनवरी, 2004 को प्रकाशित भभारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का दिनांक 13 जनवरी, 2004 के संकल्प सं0 12011/4/2002–बी0 सी0 सी0 ।

@ भभारत सरकार के राजपत्र असाधारण, भभाग–1ए खण्ड 1, संख्या 10 में दिनांक 16 जनवरी, 2006 को प्रकाशित भभारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का दिनांक 16 जनवरी, 2006 के संकल्प सं0 12011/9/2004–बी0 सी0 सी0 ।

@ भभारत सरकार के राजपत्र असाधारण, भभाग–1ए खण्ड 1, संख्या 67 में 12 मार्च , 2007 को प्रकाशित भभारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का दिनांक 12 मार्च , 2007 के संकल्प सं0 12011/14/2002–बी0 सी0 सी0 ।

श्री/श्रीमती/कुमारी* ....और/या * उनका परिवार सामान्यतः ज़िला / मंडल * ....के गांव/कस्बा* ....
....................राज्य/संघ राज्य क्षेत्र * में निवास करते हैं ।

यह भमी प्रमाणित किया जाता है कि वह * कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, भभारत सरकार के दिनांक 8.9.1993 के का0 ज्ञा0 सं0 36012/22/93–स्था0 (एस सी टी) की अनुसूची के कॉलम–3 और दिनांक 9.3.2004 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004–स्था0 (आरक्षण) में दिए गए व्यक्तियों / वर्गों *
(क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हैं ।

हस्ताक्षर ——————————————
** पदनाम———————————————

(कार्यालय की मुहर सहित)
राज्य / संघ राज्य क्षेत्र

स्थान.........................
तारीख...........................

* जो शब्द लागू न हों उन्हें दें।

@ जो लागू न हो उसे काट दें ।

टिप्पणीः–"यहां साधारणतः रहते / रहती हैं" का अर्थ वही होगा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है ।

** अन्य पिछड़े वर्ग (ओ0 बी0 सी0) का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की सूची । वही होंगे जो कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जानजाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए हैं ।

(i) ज़िला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त ज़िला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/डिप्टी कमिश्नर /एडीशनल डिप्टी कमिश्नर/डिप्टी कलेक्टर प्रथम श्रेणी का स्टाइपेन्डरी मजिस्ट्रेट/# सब डिविज़नल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट/एक्स्ट्रा असिस्टेन्ट कमिश्नर

†(प्रथम श्रेणी के स्टाइपेन्डरी मजिस्ट्रेट से कम रैंक का न हो) ।

(ii) चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट / एडीशनल चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट ।

(iii) रेवेन्यू अफसर जिसका ओहदा (रैंक) तहसीलदार से कम न हो ।

(iv) उस इलाके का सब डिविजनल आफिसर जहां उम्मीदवार और या उसका परिवार सामान्यतः से रहता हों

(v) प्रशासक/प्रशासक के सचिव/विकास अधिकारी (लक्षद्वीप)

टिप्पणी :–1 अन्य पिछड़ी श्रेणियों का होने का दावा करने वाले उम्मीदवारों को यह नोट करना चाहिए कि वे उनके प्रमाण–पत्र में दी गई उनकी जाति का नाम (उसकी वर्तनी सहित) केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित सूचियों में प्रकाशित नाम के अनुरूप हो । जाति के नाम में भिन्नता पाये जाने वाले प्रमाण–पत्र के स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

टिप्पणीः–2 उम्मीदवार के अन्य पिछड़ी श्रेणी के होने का निर्धारण उस राज्य (या उस राज्य के किसी भभाग) में जिसमें उसके पिता मूल रूप से संबंध रखते हैं, को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा । अतः जिस उम्मीदवार ने एक राज्य (या राज्य के हिस्से) से दूसरे राज्य में प्रव्रजन किया हो, उसे अन्य पिछड़े श्रेणी का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना चाहिए जो उसे, उसके पिता के मूल रूप से संबंधित राज्य द्वारा जारी किए गए प्रमाण–पत्र के आधार पर प्रदान किया गया हो ।

टिप्पणीः–3 आयोग साधारणतः उम्मीदवार द्वारा पहले ही इस परीक्षा के लिए अपने सरलीकृत आवेदन पत्र में दर्शायी जातीय स्थिति में किसी भी परिवर्तन की अनुमति नही देगा ।

प्रोफार्मा–III

(समुदाय प्रमाण पत्र के अतिरिक्त) अ.पि.व. के उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली घोषणा का प्रपत्र

मैं————————————————————पुत्र/पुत्री श्री————————————————जो गांव/नगर/शहर——————————जिला ———————————————राज्य —————————— का/की निवासी हूं और एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूं कि मैं————————————————समुदाय से संबंधित हूं जिसे का. एवं प्रशि. विभाग के दिनांक 8.9.1993 के का.ज्ञा.सं. 36102/22/93–स्था. (एस सी टी) में निहित आदेशों के अनुसार सेवाओं में आरक्षण के प्रयोजनार्थ भारत सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि दिनांक 8.9.1993 के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन की अनुसूची के कॉलम 3 , दिनांक 9.3.2004 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004–स्था. (आर) तथा दिनांक 14 अक्तूबर 2008 के का.ज्ञा.सं. 36033/3/2007–स्था. (आर) में उल्लिखित व्यक्तियों / वर्गो (क्रीमी लेयर) से संबंध नहीं रखता हूं ।

हस्ताक्षर——————————

पूरा नाम ——————————

पता——————————

प्रोफार्मा–Iv

खुली प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के अलावा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सीधी भर्ती के द्वारा सशस्त्र सेनाओं में कार्यरत/सेवानिवृत्त/सेवामुक्त कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का फार्म

(क) सेवामुक्त/सेवानिवृत्त कार्मिकों के मामले में लागू होने वाले प्रमाण पत्र का फार्म

प्रमाणित किया जाता है कि सं. ———————————————— रैंक————————————— नाम ————————————————जिनकी जन्म तिथि ——————————————है ने ———————————————— से ———————— तक सेना/नौ सेना/ वायु सेना में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं ।

2. उन्हें सैन्य सेवाओं से कार्यमुक्त किया गया है:–

%क) दायित्वों के पूरे करने के अलावा

i बर्खास्तगी द्वारा, या

ii अक्षमता या दुर्व्यवहार के कारण सेवामुक्त करना, या

iii व्यक्तिगत अनुरोध पर लेकिन पेंशन लिए बिना, या

iv सेवामुक्ति में लंबन के कारण उन्हें रिजर्व में स्थानांतरित नहीं किया गया है ।

% ख) सैन्य सेवाओं से हुई शारीरिक अपंगता के कारण

%ग) अशक्तता के बाद सैन्य सेवा में कम से कम पांच वर्ष की सेवा की है।

3. वह समय–समय पर यथा संशोधित (केन्द्रीय सिविल सेवाओं तथा पदों पर पुनः रोज़गार के लिए) नियमावली, 1979 के अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा के दायरे में आते हैं ।

स्थानः––––––––––––––––––

दिनांकः–––––––––––––––

**सक्षम प्राधिकारी का

हस्ताक्षर,नाम तथा पदनाम

मुहर :

(ख) सेवारत कर्मचारियों के मामले में लागू होने वाले प्रमाण पत्र

(उन सेवारत कार्मिकों पर लागू जिन्हें एक वर्ष के भीतर कार्यमुक्त किया जाना है)

प्रमाणित किया जाता है कि सं. –––––––––––––––––––– रैंक –––––––– नाम ––––––––––––––––––सेना/नौ सेना/वायु सेना में ––––––––––––––––––––––––––से–––––––––––––– तक कार्यरत है ।

2. वे अपने दायित्व की विशिष्ट अवधि के पूर्ण होने पर————————————को सेवामुक्त/सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

3. उनके विरूद्ध कोई अनुशासनिक कार्रवाई लंबित नहीं है।

स्थानः———————————————

दिनांकः————————————

**सक्षम प्राधिकारी का

हस्ताक्षर,नाम तथा पदनाम

मुहर :

उपर्युक्त प्रमाण–पत्र "ख" प्रस्तुत करते समय उम्मीदवार (सेवारत कार्मिक) निम्नलिखित परिवचन देंगे।

सशस्त्र सेना के कार्मिक जिन्हें एक वर्ष के भीतर सेवा मुक्त किया जाना है के द्वारा दिया जाने वाला परिवचन

मुझे ज्ञात है कि यदि इस आवेदन–प्रपत्र से संबंधित भभर्ती/परीक्षा के आधार पर चयन हो जाता है तो यह नियुक्ति मेरे द्वारा नियुक्त प्राधिकारी को इस आशय के संतोषजनक लिखित प्रमाण प्रस्तुत करने के अधीन होगी कि मैं सशस्त्र सेनाओं से विधिवत् रूप से निर्मुक्त/सेवानिवृत्त/कार्यमुक्त हो गया है और यह कि समय–समय पर यथा संशोधित भभूतपूर्व सैनिक (केन्द्रीय सिविल सेवाओं तथा पदों में पुनर्नियोजन) नियमावली, 1979 की शर्तों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को ग्राह्य लाभों का हकदार हूँ ।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर एवं नाम

स्थानः——————————————————

दिनांक ——————————————————

(ग) उन ई0सी0ओ0/एस0एस0सी0ओ0 कार्मिक पर लागू होने वाला प्रारूप, जिन्होंने पहले ही सेवा की प्रारमिक नियुक्ति अवधि पूरी कर ली है और नियुक्ति की बढ़ाई गई अवधि पर हैं ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि सं.———रैंक ————————————————

नाम———————————————जिनकी जन्मतिथि ———————————है ——————————— से सेना/नौ सेना/ वायु सेना में सेवा कर रहे हैं ।

2. उन्होंने पहले ही दिनांक————————————को प्रारंभिक कार्यकाल में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली है और अब वे ————————————————तक बढ़ाए गए कार्यकाल पर हैं ।

3. उन्हें सिविल रोज़गार में आवेदन–पत्र देने के लिए कोई आपत्ति नहीं है तथा उन्हें सिविल रोज़गार मिलने पर तीन माह के नोटिस पर कार्यमुक्त किया जाएगा ।

**सक्षम प्राधिकारी का हस्ताक्षर नाम और पदनाम

मुहर

स्थान ———————————

दिनांक ————————————

प्राधिकारी जो प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए सक्षम हैं निम्न प्रकार हैं:–

(क) ई0सी0ओ0/एस0एस0सी0ओ0 सहित कमीशंड अधिकारियों के मामले में :–

सेना – सैन्य सचिव शाखा, सेना मुख्यालय, नई दिल्ली
नौ सेना – कार्मिक निदेशालय , नौ सेना मुख्यालय, नई दिल्ली ।
वायु सेना – कार्मिक अधिकारी निदेशालय, वायु सेना मुख्यालय, नई दिल्ली ।

(ख) जे0सी0ओ0/ओ0आर0 तथा नौ सेना तथा वायु सेना के समकक्ष के मामले में :–

सेना–––विभिन्न रेजीमेन्टल अभिलेख कार्यालयों द्वारा ।
नौ सेना –––बी ए बी एस, मुम्बई ।
वायु सेना ––––वायु सेना अभिलेख, नई दिल्ली ।

प्रोफार्मा–V

भारत सरकार के अंतर्गत पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रपत्र

संस्थान/अस्पताल का नाम एवं पता

प्रमाणपत्र सं.—————————————————दिनांक————————————

अक्षमता प्रमाण–पत्र

चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा विधिवत अनुप्रमाणित अक्षमता दर्शाने वाला हाल का फोटोग्राफ

मैने, डॉ———————————————————पंजीयन संख्या——————————, श्री/श्रीमती/कु0—————————————————————————,जिसका विवरण नीचे दिया गया है, की जांच की और एतदद्वारा प्रमाणित करता हूं कि वह निम्नलिखित श्रेणी के स्थायी रूप से अक्षम व्यक्ति हैं ।

i) बी एल (BL)– दोनों पैर प्रभावित परन्तु भुजाएं नहीं।

ii) बी ए (BA)– दोनों भभुजाएं प्रभावित (क) क्षीण पहुंच
(ख) कमजोर पकड़

iii) बी एल ए (BLA)– दोनों पैर तथा दोनों भुजाएं प्रभावित

iv) ओ एल (OL)– एक पैर प्रभावित (दांया या बांया)
(क) क्षीण पहुंच
(ख) कमजोर पकड़
(ग) गतिविभ्रम (एटैक्सिक)

v) ओ ए (OA)– एक भभुजा प्रभावित
(क) क्षीण पहुंच
(ख) कमजोर पकड़
(ग) गतिविभ्रम (एटैक्सिक)

vi) बी एच (BH)– सख्त पीठ या कूल्हे (बैठ या झुक नहीं सकते)

vii) एम डब्ल्यू (M W)–मांसपेशीय दुर्बलता तथा सीमित शारीरिक सहनशक्ति

viii) बी (B)– नेत्रहीन

ix) पी बी (PB)–आंशिक रूप से नेत्रहीन

x) पी डी (PD)– आंशिक रूप से बधिर

xi) डी (D)– बधिर

(जो श्रेणी लागू न हो उसे काट दें)

2. उनके/उनकी मामले में अक्षमता की प्रतिशतता ....प्रतिशत है ।

3. श्री/श्रीमती/कुमारी ....अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाएं पूरी करते/करती हैं :–

(i) एफ (F) – अंगुलियों को व्यवस्थित करके कार्य कर सकते हैं
हाँ/नहीं

(ii) पीपी (PP) –खींचकर तथा धकेलकर कार्य कर सकते हैं
हाँ/नहीं

(iii) एल (L) – उठा कर कार्य कर सकते हैं
हाँ/नहीं

(iv) केसी (KC) – घुटने के बल पर बैठकर या क्राउचिंग द्वारा कार्य कर सकते हैं हाँ/नहीं

(v) बी (B) – झुककर कार्य कर सकते हैं हाँ/नहीं

(vi) एस (S)– बैठकर कार्य कर सकते हैं हाँ/नहीं

(vii) एसटी (ST) – खड़े रह कर कार्य कर सकते हैं हाँनहीं

(viii) डब्ल्यू (W)-चलकर कार्य कर सकते हैं हाँ/नहीं

(ix) एसई (SE) – देख कर कार्य कर सकते हैं हाँ/नहीं

(x) एच (H)– सुन कर बोल कर कार्य कर सकते हैं हाँ/नहीं

(xi) आर डब्ल्यू (RW) – पढ क़र और लिखकर कार्य कर सकते हैं हाँ/नहीं

(जो लागू न हो उसे काट दें)

4. श्री/श्रीमती/कु0 ------------------------------ किसी ऐसे रोग (संचारी या कोई ओर) ,

शारीरिक दुर्बलता अथवा शारीरिक अशक्तता से प्रभावित नहीं है जो भारत सरकार के अंतर्गतअधिकारी के रू में उनके दक्ष कार्य निष्ादन को बाधित करें ।

(i)उम्मीदवार का नाम ––––––––––––––––––––––––––

(ii) िता का नाम ––––––––––––––––––––––––––––––

(iii) पहचान चिन्ह ––––––––––––––––––––––––––––––

(iv) लिंग ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(v) आयु ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

सर्जन चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर
पदनाम –––––––––––––––––––––––
कार्यालय मुहर–––––––––––––––––
पता –––––––––––––––––––––––––

नोटः विकलांगता प्रमाण पत्र सरकारी अस्पताल से जारी किया गया हो ।

प्रोफार्मा–VI

केन्द्र सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आयु में छूट के लिए दावा करने वाले

उत्कृष्ट खिलाड़ियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण–पत्र का फार्म

फार्म–I

(मान्यताप्राप्त खेल/खेलकूदों में से किसी एक खेल का अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए) ।

——————————खेल की नेशनल फेडरेशन/नेशनल एसोशिएशन

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी—————————— पुत्र/पत्नी/पुत्री/श्री —————————— निवासी —————————— (पूरा पता) —————————————— ने दिनांक —————————— से ——————————तक —————————————— में आयोजित —————————————— के खेल/स्पर्धा ——————————में——————————प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में देश का प्रतिनिधित्व किया । खिलाड़ी/टीम ने उपर्युक्त स्पर्धा/टूर्नामेंट में —————————— स्थान प्राप्त किया ।

2.—————————————— खेल की नेशनल फेडरेशन/नेशनल एसोसिएशन के कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्डों के आधार पर प्रमाण–पत्र दिया जा रहा है ।

स्थान : ——————————

दिनांक : ——————————

हस्ताक्षर ——————————————

नाम ——————————————

पदनाम ——————————————

फेडरेशन/नेशनल एसोसिएशन का नाम

——————————————

पता ——————————————

मुहर ——————————————

नोट :– यह प्रमाण पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन/राज्य एसोसिएशन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर किए जाने पर ही वैध होगा ।

फार्म–II

(किसी मान्यताप्राप्त खेल/खेलकूद में राष्ट्रीय प्रतियोगिता मे ंभारत में किसी राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए)

————————राज्य एसोसिएशन की ओर से ———————— खेल में भाग लिया

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ———————————————— पुत्र/पत्नी/पुत्री/श्री ———————————————— निवासी ———————————————— ———————————————— (पूरा पता)————————————————————————ने दिनांक ——————————— से ———————————तक ———————————————— में आयोजित———————————————— खेल/स्पर्धा में राष्ट्रीय स्पर्धा/टूर्नामेंट में राज्य का प्रतिनिधित्व किया । खिलाड़ी/टीम ने उपर्युक्त स्पर्धा/टूर्नामेंट में ———————————————— स्थान प्राप्त किया ।

2.———————————— राज्य एसोसिएशन के कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्डों के आधार पर प्रमाण पत्र दिया जा रहा है।

स्थान : ———————————

दिनांक : ———————————

हस्ताक्षर ————————————————

नाम ————————————————

पदनाम ————————————————

राज्य एसोसिएशन का नाम————————————————

पता ————————————————

मुहर————————————————

नोट :– यह प्रमाण पत्र राज्य एसोसिएशन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर किए जाने पर ही वैध होगा ।

प्रोफार्मा–VII

सरकारी कर्मचारी द्वारा आयु में छूट के दावे के मामले में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण–पत्र का फार्म :–

(संस्था/जारीकर्ता प्राधिकारी के पत्र शीर्ष पर)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री ....पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री——————————————————————— संगठन/विभाग/मंत्रालय नियमित रूप से नियुक्त कर्मचारी है और उनके द्वारा अवधि (अवधियों) के दौरान निष्पादित किए गए कार्य निम्नानुसार हैं:–

प्रमाणित किया जाता है कि:

*(क) श्री/श्रीमती/कुमारी ....दिनांक———–से———————तक श्री——————————————————————— संगठन/विभाग/मंत्रालय नियमित रूप से कार्यालय/विभाग में————————————————के पद पर मूल रूप से स्थायी आधार पर हैं ।

*(ख) श्री/श्रीमती/कुमारी ....दिनांक———–से———————तक——————— कार्यालय/विभाग म केंद सरकार के अंतर्गत————————————————के पद पर नियमित आधार पर अस्थायी सेवा में लगातार कार्यरत हैं ।

हस्ताक्षर ——————————————————

नाम ————————————————————

पदनाम ———————————————————

मंत्रालय/कार्यालय——————————————————————

पता——————————————————————————

कार्यालय की मुहर——————————————————————

स्थान————————————————————

दिनांक :——————————————————

प्रोफार्मा-VIII

उम्मीदवारों द्वारा अनुभव का दावा करने के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-□त्र का प्र□त्र

प्र□त्र-I

अनुभव प्रमाण-□त्र

सम्थान / जारी करने वाले प्राधिकारी का शीर्ष □त्र लेटर हैड

दूरभाष स□ ....

फैक्स स□ ....

सगठन का नाम

सगठन का □ता

दिनाक ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / सुश्री... □ुत्र / □ुत्री / □त्नी श्री ....इस सगठन / विभाग / मत्रालय का/की कर्मचारी था/थी/है और इस अवधि (अवधियों) के दौरान उनके द्वारा किए गए कार्यों का विवरण निम्नानुसार है :-

धारित □द का नाम	से दिन/महीना/वर्ष	तक दिन/महीना/वर्ष	कुल अवधि दिन/महीना/वर्ष	नियुक्ति की प्रकृति-स्थायी, नियमित, अस्थायी, अशकालिक, सविदा आधार □र, अतिथि आधार □र, मानद आदि	विभाग/ विशेषज्ञता/ अनुभव का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

वेतनमान तथा आहरित किया गया अतिम वेतन	निष्□ादित कार्य/ प्रत्येक □द □र प्राप्त अनुभव का सक्षिप्त विवरण (यदि आवश्यकता हो तो सलग्न □त्रक □र विवरण दें) (चिकित्सीय □द होने की स्थिति में विशेषज्ञता के क्षेत्र का उल्लेख करें)	तैनाती का स्थान	□र्यवेक्षकीय स्तर □र/ मध्य प्रबधन स्तर □र/ शाखा-अध्यक्ष के तौर □र कार्य किया हो
(7)	(8)	(9)	(10)

1. प्रमाणित किया जाता है कि उ□र्युक्त तथ्य तथा आकड़े सही है तथा हमारे सगठन / विभाग / मत्रालय में उ□लब्ध सेवा अभिलेखों □र आधारित है ।

हस्ताक्षर

सक्षम प्राधिकारी का नाम

सक्षम प्राधिकारी की मोहर

<u>प्रपत्र-II</u>

<u>अनुभव प्रमाण-पत्र</u>

<u>(डी.एन.बी./डी.एम./एम.सीएच. पाठ्यक्रम के अध्ययन के दौरान अनुभव के लिए)</u>

संस्थान / जारी करने वाले प्राधिकारी का शीर्ष पत्र (लेटर हैड)

दूरभाष सं. ....

फैक्स सं. ....

संग□न का नाम

संग□न का पता

दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि डा. .... पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री ....(पंजीकरण सं. ....)दिनांक ....की अधिसूचना सं.------------------------ के तहत--------------------- (पाठ्यक्रम का नाम)परीक्षा में डिप्लोमेंट ऑफ नेशनल बोर्ड (डी.एन.बी.) / डॉक्टर इन मेडिसिन (डी.एम.) / मेजिस्टर चिरूरजी (एम.सीएच.) का छात्र था । डा. .... को भारतीय चिकित्सा परिषद से मान्यताप्राप्त कॉलेज / विश्वविद्यालय द्वारा .... (विशेषज्ञता का नाम) में डी.एन.बी./डी.एम./एम.सीएच. की डिग्री प्रदान की गई ।

<u>टिप्पणी – 1</u> : प्राप्त अनुभव वैध अध्यापन अनुभव के रूप में भारतीय □ युर्विज्ञान परिषद अथवा चिकित्सा पद्धति से संबंधित सांविधिक निकाय द्वारा मान्यता प्राप्त है (<u>केवल चिकित्सीय अध्यापन पदों के लिए</u>) ।

<u>टिप्पणी – 2</u> : चिकित्सा संस्था / कालेज जहां से अनुभव प्राप्त किया गया है, संबंधित चिकित्सा प्राधिकारण द्वारा मान्यता प्राप्त है (<u>केवल चिकित्सीय पदों हेतू</u>) ।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त तथ्य तथा □ ंकड़े सही है तथा हमारे संग□न / विभाग / मंत्रालय में उपलब्ध सेवा अभिलेखों पर □ धारित है ।

हस्ताक्षर

सक्षम प्राधिकारी का नाम

सक्षम प्राधिकारी की मोहर

<u>प्र□त्र-III</u>

<u>अनुभव प्रमाण-□त्र</u>

<u>(अधिवक्ताओं को बार संबंधी अनुभव के लिए)</u>

संस्थान / जारी करने वाले प्राधिकारी का शीर्ष □त्र लेटर हैड

दूरभाष सं. ....

फैक्स सं. ....

संगठन का नाम

संगठन का □ता

दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / सुश्री .... □ुत्र / □ुत्री / □त्नी श्री .... (□ंजीकरण सं. ....) ....स्थित के. प्रशा., अधि./ सत्र न्यायालय / उच्च न्यायायलय / सर्वोच्च न्यायालय में ....से .... तक अधिवक्ता के रू□ में फौजदारी / दीवानी मामलों में, प्रैक्टिस कर रहे/रही हैं / कर चुके/चुकी हैं ।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि उ□र्युक्त तथ्य तथा आंकड़े सही है तथा हमारे संगठन / विभाग / मंत्रालय में उ□लब्ध सेवा अभिलेखों □र आधारित है ।

हस्ताक्षर

सक्षम प्राधिकारी का नाम

सक्षम प्राधिकारी की मोहर